<u>भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-I खंड-I में प्रकाशनार्थ</u>

फा.सं. 6/1/2023-डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जीवन तारा बिल्डिंग, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 28 मार्च, 2024

<u>अधिसूचना</u>

<u>अंतिम जांच परिणाम</u>

<u>मामला सं. एडी (ओआई) -1/2023</u>

विषय: चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "401 व्यास (99 एमएम) और 300 व्यास (73 एमएम) के माप के इलेक्ट्रोलाइटिक टिन प्लेट (ईटीपी) सहित ईजी ओपन ऐंड ऑफ टिन प्लेट" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच।

क. <u>मामले की पृष्ठ भूमि</u>

1. मै० ईजी ओपनऐंड्स इंडिया प्रा० लि० (एक एमएसएमई इकाई) (जिसे आगे "आवेदक" अथवा "याचिकाकर्ता" के रूप में भी कहा गया है) ने चीन जन. गण. (इसके बाद इसे "संबद्ध देश" के रूप में कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "401 व्यास (99 एमएम) और 300 व्यास (73 एमएम) के माप के इलेक्ट्रोलाइटिक टिन प्लेट (ईटीपी) सहित ईजी ओपन ऐंड ऑफ टिन प्लेट" (इसके बाद इसे "संबद्ध वस्तु" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "पीयूसी" के रूप में कहा गया है) के आयातों के संबंध में एक पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (इसके बाद इसे "अधिनियम" के रूप में भी कहा गया है) और सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (इसके बाद इसे "नियमावली" के रूप में भी कहा गया है) के अनुसार, निर्दिष्ट प्राधिकारी (इसके बाद इसे "प्राधिकारी" के रूप में भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन/याचिका दायर किया है।

2. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए पर्याप्त *प्रथम दृष्ट्या* साक्ष्य के आधार पर, संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने के लिए और पाटनरोधी शुल्क की उतनी मात्रा की सिफारिश करने के लिए, जो यदि लगायी जाती है, तो घरेलू उद्योग की कथित क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा, नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार संबद्ध जांच शुरु करते हुए भारत के राजपत्र-असाधारण में प्रकाशित दिनांक 31 मार्च, 2023 की अधिसूचना फा. सं. 6/1/2023-डीजीटीआर के महत एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

ख. <u>प्रक्रिया</u>

3. निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण संबद्ध जांच के संबंध में किया गया है:

क. प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियम 5 के उप नियम (5) के अनुसार जांच शुरू करने की कार्यवाही करने के पूर्व वर्तमान पाटनरोधी आवेदन के प्राप्त होने के बारे में भारत में संबद्ध देश के दूतावास को अधिसूचित किया।

ख. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से संबंद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 31 मार्च, 2023 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

ग. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पते के अनुसार भारत में संबद्ध देश के दूतावास, संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, ज्ञात आयातकों, आयातक/प्रयोक्ता संघों, घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 31 मार्च, 2023 की जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना की एक प्रति भेजी। हितबद्ध पक्षकारों को सलाह दी गई थी कि वे इस नियमावली के नियम 6(2) और 6(4) के अनुसार निर्धारित रूप में और तरीके से संगत सूचना उपलब्ध कराएं तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित रूप में अपने अनुरोधों से अवगत कराएं।

घ. प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार भारत में इसके दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों तथा सरकार को आवेदन के अगोपनीय पाठ की एक प्रति उपलब्ध कराई।

ड. भारत में संबद्ध देश के दूतावास से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर

देने की सलाह दें। उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति भी उन्हें संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नाम और पते के साथ भेजी गई थी।

च. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों और संबंधित मंत्रालय को दिनांक 05.04.2023 को आर्थिक हित प्रश्नावली(ईआईक्यू) जारी किया । ईआईक्यू का उत्तर घरेलू उद्योग और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किया गया था।

च. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देश के निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजी;

i. फुजियान जियांगडा इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड
ii. गुआंगडोंग ऐनपैक पैकेजिंग कंपनी लिमिटेड
iii. झेजियांग चांगहोंग कैन ऐंड मेकिंग कंपनी लिमिटेड

ज. इसके जवाब में, संबद्ध देश के निम्नलिखित निर्यातकों/उत्पादकों ने निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया:

i. ईजी ओपन लिड इंडस्ट्री कार्पो. यीवऊ

झ. उत्पादक/निर्यातकों के अलावा, "चाइना चैम्बर ऑफ कॉमर्स फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ मशीनरी एंड इलैक्ट्रानिक प्रोडक्ट्स (सीसीसीएमई)" द्वारा भी अनुरोध किए गए थे।

ञ. प्राधिकारी ने इस नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना की मांग करते हुए भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को आयातक की प्रश्नावलियां भेजी:

i. रग्स ईजी पैक प्राइवेट लिमिटेड
ii. हिंदुस्तान टिन वर्क्स लिमिटेड
iii. शेट्रान लिमिटेड
iv. एसीई कान्स मैन्यु. कं.
v. जे जे इंटरप्राइज
vi ए जे पैकेजिंग लिमिटेड
vii. सीसीएल प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड
viii. कारशनी पैक्स प्राइवेट लिमिटेड
ix. पटसन फूड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
x. इंडुस कॉफी प्राइवेट लिमिटेड
xi. कैरा कैन कंपनी लिमिटेड
xii. विमल एग्रो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

xiii. हल्दीराम फूड्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड

ट. उत्तर में, निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं जिन्होंने निर्धारित और विस्तारित समय अवधि के भीतर उत्तर दिया है और आयातक की प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है, पर विचार किया गया था;

i. जे जे इंटरप्राइज
ii. कैरा कैन कंपनी लिमिटेड
iii. शेट्रान लिमिटेड
iv. ए जे पैकेजिंग लिमिटेड
v. हिंदुस्तान टिन वर्क्स लिमिटेड
vi विक्ट्री फूड स्पेशिलिटीज एफ जेड ई

ठ. प्राधिकारी ने प्रस्ताव करने के लिए समय सीमा का निर्धारण कर दिनांक 31 मार्च, 2023 की जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना में विचाराधीन उत्पाद की उचित तुलना के लिए उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन), यदि कोई हो, का प्रस्ताव करने के लिए विशिष्ट रूप से एक अवसर उपलब्ध कराया।

ड. पीसीएन प्रस्ताव के उत्तर में, आवेदक ने इस बात को दोहराया कि मामले के तथ्य इस तरह के किसी उत्पाद नियंत्रण संख्या बनाने को आवश्यक नहीं बनाते हैं और प्राधिकारी से अनुरोध किया कि वे आवेदन में यथा-प्रस्तावित मॉडल टू मॉडल तुलना पर विचार करें। हालांकि, कुछ अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने केवल पीसीएन प्रस्ताव पर टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए समय विस्तार का अनुरोध किया। इस प्रकार के अनुरोध पर विचार करते हुए, 27.04.2023 तक एक सप्ताह का अतिरिक्त समय पीसीएन प्रस्ताव बनाने के लिए दिया गया था।

ढ. यद्यपि समय का विस्तार किसी पीसीएन का प्रस्ताव करने के लिए दिया गया था तथापि ऐसा कोई प्रस्ताव किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था।

ण. घरेलू उद्योग को छोड़कर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किसी विशिष्ट पीसीएन प्रस्ताव के नहीं होने पर, रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना को पीसीएन के लिए संगत पाया गया और उसकी जांच की गई है तथा पीसीएन पद्धति का निर्धारण प्राधिकारी द्वारा किया गया है तथा इसे दिनांक 8 मई, 2023 के पत्र के माध्यम से सभी हितबद्ध पक्षकारों को अनुसूचित किया गया था।

त. हितबद्ध पक्षकारों से यह अनुरोध किया गया था कि वे पीसीएन की सूचना दिए जाने की तिथि से दो सप्ताह अर्थात 8 मई, 2023 तक अधिसूचित पीसीएन के

अनुसार प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करें। उसके बाद, अतिरिक्त समय के लिए अनुरोध हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया था और इस प्रकार के अनुरोधों पर विचार करते हुए, उत्तर/अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए 5 जून, 2023 तक समय विस्तार दिया गया था।

थ. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अन्य पक्षकारों को दिए गए/किए गए साक्ष्य का अगोपनीय पाठ इन पक्षकारों को डीजीटीआर की वेबसाइट पर सभी संबंधित पक्षकारों को उपलब्ध कराई गई संबद्ध जांच के लिए संगत हितबद्ध पक्षकारों की सूची के आधार पर ईमेल के द्वारा ऐसे अनुरोधों का आदान-प्रदान करने के लिए निदेश देकर उपलब्ध कराया।

द. वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) को पिछले तीन वर्षों और जांच की अवधि के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयातों का लेन-देनवार विवरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था जो प्राधिकारी को प्राप्त हो गया है। प्राधिकारी ने आयातों की मात्रा की गणना और लेन-देन की उचित जांच के बाद इसके विश्लेषण के लिए आयात के आंकड़ों का डीजीसीआईऐंडएस लेन-देनवार विवरण पर विश्वास किया है

ध. सामान्य रूप से स्वीकार की गई लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तुओं का निर्माण करने तथा बिक्री करने की लागत और उत्पादन की लागत के आधार पर क्षति रहित कीमत (एनआईपी) का निर्धारण किया गया है ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन की तुलना में कमतर पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।

न. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर, 2022 (12 महीने) की है। तथापि, क्षति की जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2019-31 मार्च, 2020, 1 अप्रैल 2020-31 मार्च 2021, 1 अप्रैल 2021 - 31 मार्च, 2022 की अवधि और जांच की अवधि के रूप में मानी गई है।

प. संबद्ध देश के आवेदक, उत्तर देने वाले उत्पादक और निर्यातक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का डेस्क सत्यापन/सत्यापन प्राधिकारी द्वारा उस सीमा तक किया गया था जिस सीमा तक उसे आवश्यक माना गया। जहां कहीं भी लागू हुआ आवश्यक संशोधन/सुधार के साथ केवल इस प्रकार से सत्यापित सूचना पर वर्तमान अधिसूचना के प्रयोजन से विश्वास किया गया है।

फ. इस नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने विचार आयोजित सुनवाई में मौखिक रूप से हाइब्रिड मोड में 21 जुलाई, 2023 को प्रस्तुत करने के लिए अवसर भी दिया। सभी पक्षकारों, जो मौखिक सुनवाई में उपस्थित हुए थे, को 28 जुलाई, 2023 तक लिखित अनुरोध प्रस्तुत करने, उसके बाद 4 अगस्त, 2023 तक प्रति उत्तर, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने का अवसर भी दिया गया था।

ब. अब तक इस जांच की प्रक्रिया के दौरान, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर उपयुक्त रूप से विचार किया गया है और उसका समाधान प्राधिकारी द्वारा इस अंतिम जांच परिणाम में किया गया है, जिस सीमा तक वर्तमान जांच से संबंधित साक्ष्य द्वारा समर्थित था।

भ. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी जहां कहीं भी आवश्यक हो, गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट न की गई सूचना माना गई है। जहां कहीं भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराएं।

म. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान सूचना देने से इंकार किया है अथवा अन्य प्रकार से आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराई है या इस जांच में बहुत अधिक हद तक बाधा पहुंचाई है, प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी के रूप में माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर इस अंतिम जांच परिणाम को रिकॉर्ड किया।

य. इस अंतिम जांच परिणाम में '***' चिन्ह हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई और प्राधिकारी द्वारा नियमावली के अंतर्गत गोपनीय मानी गई सूचना को दर्शाता है।

कक. प्राधिकारी द्वारा संबद्ध जांच के लिए अपनाई गई विनिमय दर 1 अमरीकी डॉलर = 79.26 रुपए है।

ग. <u>विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु</u>

4. जांच की शुरुआत के चरण में विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु निम्नानुसार परिभाषित किए गए थे:

3. आवेदन में विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) "401 व्यास (99 एमएम) और 300 व्यास (73 एमएम) के माप के इलेक्ट्रोलाइटिक टिन प्लेट (ईटीपी) सहित ईजी ओपन ऐंड ऑफ टिन प्लेट" हैं।

4. संबद्ध वस्तुएं आवश्यक रूप से ढक्कनों अथवा केंस/कंटेनरों के छोरों को खोलने में आसान हैं जिनका उपयोग उपयोज्य और अन्य वस्तुओं जैसे ताजा और संरक्षित खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों की पैकेजिंग में किया जाता है। संबद्ध वस्तुओं से आसान खुले सिरों (ईजी ओपन ऐंड) को ढ़का जाता है, जिनका निर्माण इलेक्ट्रोलाइटिक टिन प्लेट (ईटीपी) सहित टिन प्लेट का उपयोग करके किया जाता है और ये पूर्ण अपर्चर अथवा पूरी तरह खोलने योग्य प्रकृति के होते हैं और ये सामान्यत: लैकर लगाए जाते हैं और इन पर आसान खुले सिरों (ईजी ओपन ऐंड)/ ढ़क्कन (लिड) के टॉप पर खोलने संबंधी अनुदेश मुद्रित होते हैं। पैकेजिंग में डिब्बे/ कंटेनर पर प्रयोग किए/ लगाए जाने वाले परंपरागत ढ़क्कन (लिड) में एक बाहरी उपकरण (टूल) अथवा ढ़क्कन को खोलने के लिए बल की आवश्यकता होती है, जबकि ईजी ओपनऐंड को ईजी ओपन ऐंड के ही बाहर की ओर लगी रिंग को खींचकर निर्बाध रूप से खोला जा सकता है।

5. साथ ही, संबद्ध वस्तुएं केवल ऐसे आसान खुले सिरों (ईजी ओपन ऐंड) को कवर करती हैं, जो 401 व्यास (99 एमएम) और 300 व्यास (73 एमएम) के माप के हैं, जिनमें कि 401 व्यास 4 इंच को दर्शाता है और एक इंच का 1/16वां भाग तथा 300 व्यास 3 इंच को दर्शाता है। ये माप व्यापक रूप से डिब्बों/ कंटेनरों और ढ़क्कन के उत्पादकों द्वारा अपनाए गए यूनिवर्सल मापों के अनुरुप हैं ताकि डिब्बों/ कंटेनरों के साथ ढक्कनों (लिड) को उचित तरीके से सीवन (सीमिंग) किया जा सके। उत्पाद को आम तौर पर उत्पाद के माप को दर्शा करके कारोबार किया जाता है और मिलीमीटर (एमएम) के संदर्भ में भी माप का उल्लेख करने की घटनाएं अक्सर होती हैं।

6. स्पष्टता के लिए, विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) के दायरे में निम्नलिखित शामिल नहीं हैं :-

क) ऐसे आसान खुले सिरे (ईजी ओपन ऐंड), जो टिन प्लेट के अलावा अन्य सामग्रियों से निर्मित होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, टिन फ्री शीट आदि।

ख) किसी भी मेक/ इनपुट सामग्री के ऐसे आसान खुले सिरे (ईजी ओपन ऐंड), जिनका माप 401 व्यास (99 एमएम) और 300 व्यास (73 एमएम) के अलावा अन्य माप का है।

ग) किसी भी मेक और माप के आंशिक या लघु छिद्र (अपर्चर) के आसान खुले सिरे (ईजी ओपन ऐंड)

7. विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 83 और आगे सीमा शुल्क उप शीर्ष सं. 83099020 के तहत बेस मेटल की विविध वस्तुओं के अंतर्गत आते हैं, जो कि विचाराधीन उत्पाद के लिए एक समर्पित वर्गीकरण नहीं है। तथापि, आवेदक ने यह दावा किया है कि किसी अन्य शीर्ष/ टैरिफ मद के तहत विचाराधीन उत्पाद के आयात की संभावना है। विचाराधीन उत्पाद के लिए एचएस वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और यह किसी भी तरह से उत्पाद के दायरे के संबंध में बाध्यकारी नहीं है।

समान वस्तु

8. आवेदक ने यह दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं और संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तुओं में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। दोनों ही वस्तुएं भौतिक और रासायनिक गुणों, कार्यों और उपयोगों, कीमत, वितरण और विपणन, तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनात्मक हैं। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि दोनों उत्पाद तकनीकी और वाणिज्यिक दृष्टि से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ताओं ने दोनों उत्पादों को एक दूसरे के स्थान पर बदल-बदल कर प्रयोग किया है और प्रयोग कर रहे हैं। अत: वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएं संबद्ध देश से आयात की जा रही संबद्ध वस्तुओं के 'समान वस्तु' मानी जा रही हैं।

ग.1 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध</u>

5. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. यह विचाराधीन उत्पाद तीन प्लेट से निर्मित 401 और 300 व्यास के ईओई (को कवर करता है। हालांकि, याचिकाकर्ता ईओई के तथा एल्युमिनियम ईओई के अन्य व्यास का भी उत्पादन करता है। यह स्पष्ट नहीं है कि क्यों इस प्रकार के सभी ईओई को विचाराधीन उत्पाद में शामिल नहीं किया जाता है।

ii. आवेदक द्वारा निर्मित उत्पाद समान वस्तु नहीं हैं क्योंकि यह निम्न गुणवत्ता की है। इस कारण से, प्रयोक्ताओं को आयात करना पड़ता है।

iii. आवेदक विचाराधीन उत्पाद का निर्माण करने के लिए बैच एनीलिंग (बीए) टिनप्लेट निर्माण प्रक्रिया का उपयोग करता है जबकि उत्पादक/निर्यातक सतत एनील्ड (सीए) टिन प्लेट निर्माण प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। सीए प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए निर्माण किए गए टिनप्लेट (विचाराधीन उत्पाद के लिए कच्चा माल) आवेदक द्वारा उपयोग किए गए बीए प्रौद्योगिकी टिनप्लेट की तुलना में उत्कृष्ट कोटि के होते हैं।

ग.2 <u>घरेलू उद्योग का अनुरोध</u>

6. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए "401 व्यास (99 एमएम) और 300 व्यास (73 एमएम) के माप के इलेक्ट्रोलाइटिक टिन प्लेट (ईटीपी) सहित ईजी ओपन ऐंड ऑफ टिन प्लेट" हैं।

ii. संबद्ध वस्तुएं आवश्यक रूप से ढक्कनों अथवा कैंस/कंटेनरों के छोरों को खोलने में आसान है जिनका उपयोग उपयोज्य और अन्य वस्तुओं जैसे ताजा और संरक्षित खाद्य पदार्थों और अन्य वस्तुओं जैसे ताजा और संरक्षित खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ, पान मसाला आदि की पैकेजिंग में उपयोग किया जाता है। संबद्ध वस्तु बाजार की भाषा में कैंस के लिए ढक्कन, ईओई, ईजी ओपन्स अथवा रिंग पुल्स के रूप में भी जाना जाता है।

iii. निम्नलिखित को विचाराधीन उत्पाद के कार्य क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाता है: क) आसान खुला छोर जिनका निर्माण टिनप्लेट को छोड़कर अन्य सामग्रियों जैसे एल्युमिनियम, टिन फ्री शीट आदि से किया जाता है; ख) किसी निर्माण/इनपुट सामग्री के 401 व्यास (99 एमएम) और 300 व्यास (73 एमएम) को छोड़कर अन्य परिमाप वाले ईजी ओपन छोरों, ग) किसी निर्माण और परिमाप के आंशिक अथवा लघु अपर्चर का ईजी ओपन छोर।

iv. ढक्कन से संबद्ध रिंग/टैप के बिना उत्पाद के किसी आयात के संबंध में, रिंग (ढक्कन को खोलने के लिए रिंग) विचाराधीन उत्पाद का एक अभिन्न और अंतर्निहित हिस्सा है तथा रिंग के न होने पर, ईओई का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा और इसकी परिभाषा भी पूरी नहीं होगी। आवेदक को रिंग के बिना और इस समय भारत में आयात के बाद संबद्ध वस्तुओं पर रखे जाने वाले रिंग के बिना ईओई के किसी आयात की जानकारी नहीं है। हालांकि, याचिकाकर्ता किसी

शुल्क को लगाए जाने की स्थिति में किसी ऐसे क्रियाकलापों से इंकार नहीं कर सकते हैं।

v. प्रश्नगत व्यास अर्थात 401 और 300 व्यास की प्रवंचना की संभावनाओं के संबंध में, ईओई के संबंध में व्यास बिल्कुल सही है और इसका वैश्विक रूप से अनुसरण के निर्माताओं द्वारा भी किया जाता है। इस कारण से, ऐसी संभावनाओं से इस चरण में इंकार नहीं किया जा सकता है।

vi घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं और संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तुओं में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। दोनों ही वस्तुएं भौतिक और रासायनिक गुणों, कार्यों और उपयोगों, कीमत, वितरण और विपणन, तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनात्मक हैं। दोनों उत्पाद तकनीकी और वाणिज्यिक दृष्टि से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ताओं ने दोनों उत्पादों को एक दूसरे के स्थान पर बदल-बदल कर प्रयोग किया है और प्रयोग कर रहे हैं। आयात की गई सामग्री के लिए पसंदगी का कारण कुछ भी नहीं है बल्कि निर्यातकों द्वारा पेशकश की जा रही पाटित कीमतें हैं।

vii. यह तर्क दिया गया है कि आवेदक द्वारा निर्मित उत्पाद समान वस्तु नहीं हैं क्योंकि यह निम्न गुणवता की है और आवेदक विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने के लिए बैच एनील्ड (बीए) टिनप्लेट का उपयोग करते है जबकि उत्पादक/निर्यातक विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने के लिए सतत एनील्ड (सीए) टिन प्लेट का उपयोग करते हैं और सीए प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए निर्माण किए गए टिनप्लेट (विचाराधीन उत्पाद के लिए कच्चा माल) बीए प्रौद्योगिकी टिनप्लेट की तुलना में उत्कृष्ट कोटि के होते हैं। इन तर्कों का कोई आधार नहीं है।

viii. बैच एनीलिंग (बीए) प्रौद्योगिकी और सतत एनीलिंग (सीए) प्रौद्योगिकी संबद्ध वस्तुओं अर्थात टिनप्लेट का उत्पादन करने के लिए और न कि संबद्ध वस्तुओं का निर्माण करने के लिए कच्चे माल के उत्पादन के संबंध में है। कच्चे माल का उत्पादन करने के लिए प्रौद्योगिकी में अंतर संबद्ध वस्तुओं के संबंध में अपरिणामी है और ऐसा कुछ भी यह दर्शाने के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है कि कच्चे माल का उत्पादन करने के लिए प्रौद्योगिकी में अंतर में आयात किए गए ईओई और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन किए गए ईओई की भौतिक गुणों, एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जाने की क्षमता अथवा उपयोगों के संदर्भ में इन उत्पादों की तुलनीयता को प्रभावित किया है।

ix. प्रौद्योगिकी अथवा इनपुट अथवा उत्पादन की प्रक्रिया में केवल अंतर इस उत्पाद को अलग नहीं बनाता है, यदि अंतिम उत्पाद में विनिर्देशों में परिवर्तन उस सीमा तक नहीं हो कि वे एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जाने लायक अथवा प्रतिस्थापनीय नहीं हों। वर्तमान मामले में, आयात किए गए ईओई और घरेलू स्तर पर उत्पादन किए गए ईओई एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जाने योग्य अथवा प्रतिस्थापनीय हैं तथा टिनप्लेट का उत्पादन करने के लिए प्रौद्योगिकी में कोई अंतर ईओई पर कोई प्रभाव नहीं डालता है।

x. संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए आवेदक और उत्पादकों द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया तथा निर्माण प्रौद्योगिकी तुलनीय हैं और यह भी दावा नहीं किया जाता है कि संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए प्रौद्योगिकी अलग हैं। जब संबद्ध वस्तुओं का निर्माण करने के लिए अपनाई गई ऐसी निर्माण प्रौद्योगिकी और प्रक्रिया तुलनीय हों तब विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने के लिए कच्चे माल का उत्पादन करने के वास्ते प्रौद्योगिकी में अंतर का संबद्ध वस्तुओं पर कोई अधिक प्रभाव नहीं होता है और उसका कोई अर्थ नहीं है।

xi. निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किया गया उत्तर यह कहता है कि विचाराधीन उत्पाद से किसी भी प्रकार से कोई अंतर नहीं है और न तो कोई इसकी विशिष्ट विशेषताएं अथवा उपयोग हैं जो इस उत्पाद से उन्हें अलग करें। जब विदेशी उत्पादक ने कोई दावा नहीं किया है अथवा संबद्ध वस्तुओं जिनका उत्पादन और निर्यात उनके द्वारा किया गया है तथा जिनकी खरीद और बिक्री आवेदक द्वारा की गई है, में निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर के संगत भाग में प्रौद्योगिकी अथवा गुणवता के कारण किसी अंतर का दावा नहीं किया है अथवा उसे सिद्ध नहीं किया है, आयात किए गए और घरेलू स्तर पर उत्पादन किए गए ईओई में अंतरों के बारे में दावे करने वाले आयातकों के पास कोई साक्ष्य संबंधी मूल्य नहीं हैं।

xii. प्राधिकारी ने यूरोपीय संघ, जापान, यूएसए और कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए कोटेड/प्लेटेड टिन मिल फ्लैट रोल्ड स्टील उत्पादों के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच में अंतिम जांच परिणाम 17 जून, 2020 को जारी किया है [फा.सं. 6/9/2019-डीजीटीआर] और उक्त जांच परिणाम में भारत में टिन प्लेट के उत्पादन में शामिल किसी ऐसी प्रौद्योगिकी तथा टिन प्लेट के अंतिम उपयोग में उनके महत्व का संज्ञान नहीं लिया है। विचाराधीन उत्पाद स्पष्ट रूप से टिन प्लेट का उत्पादन करने के लिए प्रौद्योगिकी पर विचार किए बिना टिन प्लेट के संबद्ध वस्तुओं को शामिल करता है क्योंकि टिन प्लेट

का उत्पादन करने के लिए प्रौद्योगिकी ईओई के उत्पादन और खपत में एक निर्धारक कारक नहीं है।

xiii. प्रयोक्ता जो आवेदक से संबद्ध वस्तुओं की खरीद की, ने किसी विशिष्ट प्रौद्योगिकी के टिन प्लेट से उत्पादन किए गए ईओई के लिए किसी पसंदगी को कभी नहीं दर्शाया है। ईओई का उत्पादन और बिक्री उनके गुणों, अंतिम प्रयोक्ता की पसंदगी और ईओई के लिए संगत विशेषताओं के आधार पर किया गया था। केवल सीए प्रौद्योगिकी के टिन प्लेट से निर्मित ईओई पसंद करने वाले और आवेदक द्वारा उत्पादित बीए प्रौद्योगिकी से टिन प्लेट से निर्मित ईओई को अस्वीकार करने वाले उपभोक्ता का कोई उदाहरण नहीं रहा है। इसके साथ ही, आयात आंकड़े बीए अथवा सीए प्रौद्योगिकी के टिन प्लेट से निर्मित ईओई के बीच टिन प्लेट का उत्पादन करने के लिए कोई अंतर नहीं करता है और न ही ईओई जो टिन प्लेट के उत्पादन में शामिल प्रौद्योगिकी पर विचार किए बिना टिन प्लेट का एक मूल्यवर्धित उत्पाद है, का वर्णन करने का कोई कारक है।

xiv. इसके अलावा, प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित व्यापार उपचार जांचों के लिए प्रचालन कार्य-पद्धतियों का मैनुअल यह कहता है कि "समान वस्तु" का निर्धारण करते समय जांच किए जाने के लिए अपेक्षित महत्वपूर्ण विशेषताएं भौतिक विशेषताओं, उत्पाद के अंतिम उपयोग, उपभोक्ता की पसंद और टैरिफ वर्गीकरण आदि की समानता। दो उत्पाद उत्पादन, डिजाइन, शैली, गुणवत्ता आदि के संदर्भ में अलग नहीं हो सकते हैं फिर भी उन पर जांच के उद्देश्य से समान रूप से विचार किया जा सकता है, जहां तक वे कार्यात्मक रूप से बाजार में समान अंतिम उपयोग और उपभोक्ता की पसंद के कारण प्रतिस्थापनीय हैं।

xv. प्राधिकारी ने अनेक मामलों में यह व्यवस्था दी है कि न तो प्रौद्योगिकी में अंतर और न ही गुणवत्ता में कथित अंतर अपने आप में किसी उत्पाद के अपवर्जन के लिए अथवा या तो पाटन मार्जिन या क्षति विश्लेषण और प्रौद्योगिकी अथवा संबद्ध वस्तुओं का निर्माण करने के लिए उपयोग की गई प्रक्रिया के लिए आधार हो सकता है और इसका बहुत कम महत्व है, जब तक परिणामी उत्पाद एक ही हो। यह भी व्यवस्था दी गई है कि प्रक्रिया अथवा प्रौद्योगिकी में अंतर पर इस उत्पाद में अंतर स्थापित करने के लिए एक आधार के रूप में विचार नहीं किया जा सकता है क्योंकि आयात किए गए उत्पादों और उन उत्पादों जिन्हें घरेलू स्तर पर उत्पादन किया गया है, के अंतिम उपयोग एक ही हैं और उपभोक्ता इन दोनों का एक दूसरे के स्थान पर उपयोग कर रहे हैं।

xvi. आवेदक दि टिनप्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (बीए प्रौद्योगिकी) से टिनप्लेट खरीदते आ रहे हैं और कंपनी द्वारा पेशकश की जा रही टिनप्लेट ईओई का उत्पादन करने के लिए आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कंपनी विशेष रूप से यह दावा करती है कि वे प्रोसेस्ड खाद्य प्रयोग के लिए टिनप्लेट की लगभग 47% मांग को पूरा करते हैं, जहां ईजी ओपन ऐंड भी आता है और ऐसा विश्वास नहीं किया जा सकता है कि प्रोसेस्ड खाद्य उद्योग खराब गुणवत्ता के टिनप्लेट का उपयोग करता है। इस प्रकार, यह तर्क कि बीए प्रौद्योगिकी टिनप्लेट से निर्मित ईओई निम्न गुणवत्ता की है, का कोई अर्थ नहीं है।

xvii. यह स्पष्ट है कि प्रौद्योगिकी में अंतर को आयात किए गए और घरेलू उत्पादों के बीच अंतर करने के लिए किसी आधार के रूप में नहीं माना जा सकता है जब तक कि विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु का एक ही अंतिम उपयोग हो और उसका उपयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता हो। जब स्वयं विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने के लिए प्रौद्योगिकी में किन्ही अंतरों की ऐसी स्थिति रही है, तब विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने के लिए कच्चे माल का उत्पादन करने हेतु प्रौद्योगिकी में कथित अंतर को बिल्कुल नहीं माना जा सकता है।

xviii. जब आवेदक ने 2016 में उत्पादन शुरु किया, टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया एकमात्र उपलब्ध स्रोत था जिससे घरेलू स्तर पर टिनप्लेट की खरीद की जा सकती थी, यद्यपि भारत में अब सीए प्रौद्योगिकी वाले टिनप्लेट के कई उत्पादक हैं। लेकिन वह चिंता जिसका उल्लेख किया गया है, वह यह है कि पाटित आयात आवेदक द्वारा कीमत में वृद्धि को और अधिक तर्कसंगत स्तरों तक लाने से रोक रहे हैं।

xix. इसके साथ ही, गुणवत्ता में कोई कथित अंतर समान वस्तु के निर्धारण में संगत भी नहीं है। यह आरोप कि आवेदक द्वारा उत्पादन किए गए ईओई निम्न गुणवत्ता के हैं, का कोई आधार नहीं है। हमारे ग्राहकों में से किसी के द्वारा अब तक कोई गंभीर गुणवत्ता संबंधी मुद्दे उठाए नहीं गए हैं और उत्पादों को प्रयोक्ताओं द्वारा अच्छे तरीके से स्वीकार किया गया है। घरेलू उद्योग सुनिश्चित करता है कि प्रयोक्ताओं का छोटी से छोटी चिंता को भी दूर किया जाता है और ऐसा कोई उदाहरण नहीं रहा है कि घरेलू उद्योग ने किसी निरंतर गुणवत्ता संबंधी चिंताओं के कारण ऑर्डर का नुकसान उठाया है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचे गए ईओई अच्छी गुणवत्ता के हैं और वे विश्व में उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ उत्पादों के बराबर हैं।

xx. आवेदक द्वारा उत्पादन किए गए ईओई का उपयोग खाद्य और भोज्य पदार्थ उद्योग में बहुराष्ट्रीय कंपनी सहित ख्याति प्राप्त कंपनियों द्वारा उपयोग किया जाता है और ऐसे ग्राहकों ने दुबारा आदेश नहीं दिया होता, यदि इसकी गुणवत्ता निम्न होती। यह गुणवत्ता नहीं बल्कि पाटित कीमत है जो चीन जन.गण. की ओर आयातकों को आकर्षित कर रहा है और यह आवश्यक है कि कुछ समान अवसर सुनिश्चित किया जाता है ताकि घरेलू उद्योग भारत में आम ग्राहकों की मांग को पूरा कर बाजार में बने भी रह सकते हैं।

xxi. एल्युमिनियम कुछ फ्लैट रोल्ड उत्पादों के मामले में प्राधिकारी द्वारा जांच परिणाम यह है कि विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र का आकलन करने के लिए गुणवत्ता एक कारण नहीं है तथा गुणवत्ता में अंतर उत्पाद के अपवर्जन के लिए पर्याप्त औचित्य नहीं है।

xxii. समान वस्तु के कार्य-क्षेत्र से उत्पाद के अपवर्जन के लिए गुणवत्ता के पहलू का एक कारक नहीं होने की चर्चा माननीय सेस्टेट द्वारा डीएसएम इडेमित्सु लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी में किया गया है जिसमें यह माना गया था कि गुणवत्ता में अंतर किसी वस्तु को अलग नहीं करेगा तथा निर्दिष्ट प्राधिकारी की टिप्पणी सही थी कि "यह तथ्य कि गुणवत्ता अलग अलग हो सकती है, का आशय यह नहीं है कि आयात किए गए उत्पाद और घरेलू उत्पाद, दोनों समान वस्तु नहीं हैं।"

xxiii. आवेदक द्वारा खरीदी गई टिनप्लेट में गुणवत्ता प्रत्यायन हैं। ईटीपी-आईएस 1993/आईएसओ 11949, जेआईएस जी 3303, ईएन 10202, एएसटीएम ए 624, ईटीपी (एसआर), एएसटीएम ए 626-ईटीपी (डीआर) के समतुल्य गुणवत्ता प्रत्यायन प्रतीत होता है, जो टिनप्लेट आपूर्तिकर्ता के पास है जो ईओई के लिए भी संगत है। तत्पश्चात, टिनप्लेट का उत्पादन करने के लिए लागू गुणवत्त मापदंडों के अनुसार टिनप्लेट से उत्पादन किए गए ईओई किसी निम्न मानदंड के नहीं हो सकते हैं और चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए एल्युमिनियम के कुछ फ्लैट रोल्ड उत्पादों के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच में प्राधिकारी की टिप्पणी के अनुरूप नहीं हो सकती है - फा.सं. 6/27/2020-डीजीटीआर में यह टिप्पणी की यदि सरकार ने किसी उत्पाद के कुछ मानकों को तय किया है और घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किया गया उत्पाद ऐसे मानकों के अनुरूप हैं, उपभोक्ता यह तर्क नहीं दे सकते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन किया गया उत्पाद अपेक्षित मानकों को पूरा नहीं करता है।

xxiv. जब आवेदक द्वारा खरीदा गया टिनप्लेट का उत्पादन टिन प्लेट का उत्पादन करने में निर्धारित मानकों के अनुसार किया गया हो तब ऐसी टिनप्लेट का उपयोग करते हुए उत्पादन किए गए ईओई जो मूल्यवर्धित उत्पाद हैं, निम्न कोटि अथवा टिनप्लेट की निम्न गुणवत्ता के कारण प्रयोक्ताओं द्वारा उपयोग न किए जाने योग्य गुणवत्ता का नहीं हो सकता है।

xxv. घरेलू उद्योग टिनप्लेट और एल्युमिनियम ईओई को दो अलग अलग उत्पादों के रूप में मानता है और इस कारण से एल्युमिनियम ईओई को वर्तमान आवेदन के कार्य-क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाता है। एल्युमिनियम और टिनप्लेट का ईओई भौतिक गुणों, मूल कच्चे माल, अंतिम प्रयोक्ताओं, कीमत निर्धारण आदि के मामले में अलग अलग हैं तथा टिनप्लेट और एल्युमिनियम के ईओई को एक दूसरे के स्थान पर उपयोग नहीं किया जाता है और उन्हें नियम 2(घ) के आशय से अलग-अलग उत्पादों के रूप में अवश्य माना जाना चाहिए। इसके साथ ही, जांच की अवधि के दौरान 307 व्यास का कोई उत्पादन नहीं हुआ है।

ग.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

7. वर्तमान *जांच में विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) "401 व्यास (99 एमएम) और 300 व्यास (73 एमएम) के माप के इलेक्ट्रोलाइटिक टिन प्लेट (ईटीपी) सहित ईजी ओपन ऐंड ऑफ टिन प्लेट" हैं।*

8. संबद्ध वस्तुएं ऐसे डिब्बे केन/कंटेनरों के ढक्कन खोलने या सिरों को खोलने में आसानी के लिए आवश्यक होती हैं, जिनका उपयोग उपयोज्य और अन्य वस्तुओं जैसे ताजा और संरक्षित खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों की पैकेजिंग में किया जाता है। संबद्ध वस्तुओं से आसान खुले सिरों (ईजी ओपन ऐंड) को ढ़का जाता है, जिनका निर्माण इलेक्ट्रोलाइटिक टिन प्लेट (ईटीपी) सहित टिन प्लेट का उपयोग करके किया जाता है और ये पूर्ण अपर्चर अथवा पूरी तरह खोलने योग्य प्रकृति के होते हैं और ये सामान्यत: लैकर लगाए जाते हैं और इन पर आसान खुले सिरों (ईजी ओपन ऐंड)/ ढ़क्कन (लिड) के टॉप पर खोलने संबंधी अनुदेश मुद्रित होते हैं। पैकेजिंग में डिब्बे/ कंटेनर पर प्रयोग किए/ लगाए जाने वाले परंपरागत ढ़क्कन (लिड) में एक बाहरी उपकरण (टूल) अथवा ढ़क्कन को खोलने के लिए बल की आवश्यकता होती है, जबकि ईजी ओपन ऐंड को ईजी ओपन ऐंड के ही बाहर की ओर लगी रिंग को खींचकर निर्बाध रूप से खोला जा सकता है।

9. साथ ही, संबद्ध वस्तुएं केवल ऐसे आसान खुले सिरों (ईजी ओपन ऐंड) को कवर करती हैं, जो 401 व्यास (99 एमएम) और 300 व्यास (73 एमएम) के माप के हैं, जिनमें कि 401 व्यास 4 इंच को दर्शाता है और एक इंच का 1/16वां भाग तथा 300 व्यास 3 इंच को दर्शाता है। ये माप व्यापक रूप से डिब्बों/ कंटेनरों और ढ़क्कन के उत्पादकों द्वारा अपनाए गए यूनिवर्सल मापों के अनुरुप हैं ताकि डिब्बों/ कंटेनरों के साथ ढक्कनों (लिड) को उचित तरीके से सीवन (सीमिंग) किया जा सके। उत्पाद को आम तौर पर उत्पाद के माप को दर्शा करके कारोबार किया जाता है और प्राय: मिलीमीटर (एमएम) के संदर्भ में भी माप का उल्लेख किया जाता है।

10. स्पष्टता के लिए, विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) के दायरे में निम्नलिखित शामिल नहीं हैं:-

क) ऐसे आसान खुले सिरे (ईजी ओपन ऐंड), जो टिन प्लेट के अलावा अन्य सामग्रियों से निर्मित होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, टिन फ्री शीट आदि।

ख) किसी भी मेक/ इनपुट सामग्री के ऐसे आसान खुले सिरे (ईजी ओपन ऐंड), जिनका माप 401 व्यास (99 एमएम) और 300 व्यास (73 एमएम) के अलावा अन्य माप का है।

ग) किसी भी मेक और माप के आंशिक या लघु छिद्र (अपर्चर) के आसान खुले सिरे (ईजी ओपन ऐंड)

11. विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 83 और आगे सीमा शुल्क उप शीर्ष सं. 83099020 के तहत बेस मेटल की विविध वस्तुओं के अंतर्गत आते हैं, जो कि विचाराधीन उत्पाद के लिए एक समर्पित वर्गीकरण नहीं है। विचाराधीन उत्पाद के लिए एचएस वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और यह किसी भी तरह से उत्पाद के दायरे के संबंध में बाध्यकारी नहीं है।

12. यह भी नोट किया जाता है कि यद्यपि समुचित अवसर उपलब्ध कराए जाने के बाद भी किसी भी हितबद्ध पक्षकारों से किसी पीसीएन पद्धति के लिए कोई प्रस्ताव नहीं रहा है, प्राधिकारी ने दिनांक 8 मई, 2023 के पत्र के माध्यम से 401 और 300 व्यास के विचाराधीन उत्पाद की कीमतों में बहुत अधिक भिन्नता पर विचार करते हुए एक पीसीएन पद्धति निर्धारित की। तद्नुसार, शामिल किए गए उत्पाद का व्यास अर्थात् 401 व्यास (99 एमएम) और 300 व्यास (73 एमएम) को पाटन और क्षति मार्जिन के

निर्धारण के लिए संगत पीसीएन का निर्धारण करने के लिए आधार के रूप में माना गया है और निर्धारित पीसीएन निम्नानुसार रहा है:

क्र.सं.	व्यास	पीसीएन
1.	401 व्यास (99 एमएम)	401
2.	300 व्यास (73 एमएम)	300

13. प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के दायरे के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों पर भी विचार किया है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध संगत सूचना के आधार पर और हितबद्ध पक्षकारों से आगे आवश्यक पाई गई सूचना की जांच की है।

14. विरोधी पक्षकारों के इस तर्क के संबंध में कि याचिकाकर्ता ईओई के अन्य व्यासों का उत्पादन करता है और एल्युमिनियम के ईओई का भी उत्पादन करता है और ऐसे सभी ईओई को विचाराधीन उत्पाद में शामिल नहीं किया जाता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद का दायरा परिमाप में 401 व्यास (99 एमएम) और 300 व्यास (73 एमएम) के माप के इलैक्ट्रोलाइटिक टिप प्लेट (ईटीपी) सहित टिन प्लेट के आसान खुले छोरों तक सीमित हैं। इसके साथ ही, याचिकाकर्ता द्वारा आयात किए गए उत्पाद और उत्पादन किए गए तथा बेचे गए उत्पाद भी मूल उत्पाद गुणों, उपयोगों, कच्चे मालों, निर्माण प्रक्रिया आदि के संदर्भ में तुलनीय हैं।

15. घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित वस्तुओं की गुणवत्ता के मुद्दे के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि गुणवत्ता अपने आप में विचाराधीन उत्पाद के दायरे से उत्पाद के अपवर्जन पर विचार करने के लिए एक पाटनरोधी जांच में मुद्दा नहीं है। माननीय सेस्टेट ने डीसीएम इडेमित्सु लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी में यह माना कि यह तथ्य कि गुणवत्ता अलग अलग हो सकती हैं, का यह आशय नहीं है कि आयात किया उत्पाद और घरेलू उत्पाद समान वस्तु नहीं हैं। अनुरोधों से यह नोट किया जाता है कि प्रयोक्ता आवेदक से तथा संबद्ध देश से भी संबद्ध वस्तुओं की खरीद करते रहे हैं तथा आवेदक ने अनुरोध किया है कि गुणवत्ता के मुद्दों के लिए प्रयोक्ताओं द्वारा आवेदक द्वारा उत्पादन की गई संबद्ध वस्तुओं को अस्वीकार करने का कोई उदाहरण नहीं रहा है।

16. इस तर्क के संबंध में कि आवेदक बैच एनीलिंग टिनप्लेट निर्माण प्रक्रिया द्वारा उत्पादित टिनप्लेट का उपयोग करता है जबकि आयात किए गए उत्पाद सतत अनीलिंग

प्रौद्योगिकी के माध्यम से उत्पादन किए गए टिनप्लेट का है, जिसे उत्कृष्ट होने का दावा किया जाता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रौद्योगिकी में अंतर, जैसा कि विरोधी पक्षकारों द्वारा तर्क दिया गया है, टिनप्लेट के उत्पादन से संबंधित है, जो संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए और न कि अपने आप में संबद्ध वस्तुओं का कच्चा माल मात्र है। इसके साथ ही, यह नहीं दर्शाया गया है कि कच्चे माल का उत्पादन करने के लिए प्रौद्योगिकी में अंतर ने ऐसे कच्चे माल से उत्पादन किए गए ईओई को अंतिम प्रयोगों के संदर्भ में दो अतुलनीय उत्पाद बना दिया है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन किए गए और बेचे गए संबद्ध वस्तु और संबद्ध देश से आयात की गई संबद्ध वस्तु को समान अंतिम प्रयोग तथा उपभोक्ता की पसंद के कारण बाजार में कार्यात्मक रूप से प्रतिस्थापनीय के रूप में नोट किया जाता है। आवेदक द्वारा यह भी दावा किया गया है कि आवेदक ने भारत में टिनप्लेट के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक उत्पादक दि टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया से टिन प्लेट की खरीद की और साक्ष्य यह दर्शाता है कि उक्त उत्पादक द्वारा आपूर्ति किया गया टिन प्लेट गुणवत्ता संबंधी अपेक्षाओं को टिन प्लेट का उत्पादन करने के लिए पूरा करता है। इसको देखते हुए, कच्चे माल का उत्पादन करने के लिए प्रौद्योगिकी में अंतर, जैसा कि दावा किया गया है, को आयात किए गए उत्पाद और आवेदक द्वारा उत्पादन किए गए उत्पाद के बीच अंतर करने के लिए किसी आधार के रूप में नहीं माना जा सकता है।

17. समान वस्तु के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) में निम्नानुसार व्यवस्था है:-

"समान वस्तु" से ऐसी वस्तु अभिप्रेत है जो भारत में पाटन के कारण जांच के अंतर्गत वस्तु के सभी प्रकार से समरुप या समान है अथवा ऐसी वस्तु के न होने पर अन्य वस्तु जोकि यद्यपि सभी प्रकार से समनुरुप नहीं है परंतु जांचाधीन वस्तुओं के अत्यधिक सदृश विशेषताएं रखती हैं;

18. रिकॉर्ड पर सूचना पर विचार करते हुए, प्राधिकारी यह मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन किए गए विचाराधीन उत्पाद और संबद्ध देश से आयात किए गए विचाराधीन उत्पाद भौतिक और रसायनिक विशेषताओं, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, कीमत निर्धारण, वितरण और वितरण तथा इन वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के मामले में तुलनीय हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन की गई वस्तु और संबद्ध देश से आयात की गई वस्तु नियमावली के संदर्भ में समान वस्तु हैं। ये दोनों तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। इस प्रकार, प्राधिकारी यह मानते हैं कि घरेलू

उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के क्षेत्र और आशय से संबद्ध देश से आयात किए गए विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु हैं।

घ. घरेलू उद्योग का दायरा और आधार

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

19. घरेलू उद्योग के पहलू और उसके आधार के संबंध में अनुरोध जो कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, निम्नानुसार हैं:

i. आवेदक ने अपने आवेदन में स्वीकार किया है कि इसने चीन जन.गण. से विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है। ऐसे मामले में, प्राधिकारी को नियम 2(ख) के संदर्भ में आवेदक को एक घरेलू उद्योग के रूप में नहीं मानना चाहिए और इस जांच को तत्काल समाप्त कर देना चाहिए।

घ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

20. घरेलू उद्योग द्वारा घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के संबंध में किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:

i. आवेदन जिसके आधार पर वर्तमान जांच शुरु की गई थी, मैसर्स ईजी ओपनएंड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एक एमएसएमई इकाई) द्वारा दायर किया गया है। आवेदक भारत में संबद्ध वस्तुओं का एकमात्र उत्पादक है। आवेदक संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं के किसी निर्यातक अथवा उत्पादक या भारत में विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक से संबंधित भी नहीं है।

ii. जांच की शुरुआत के समय में निर्णय लिए गए अनुसार जांच की अवधि में 401 डीआईए ईओई (पीयूसी) के आयात का एक उदाहरण रहा है। किया गया बहुत कम आयात पाटित स्तरों पर निर्यातकों द्वारा पेशकेश किए जा रहे उत्पादों और आयात की वास्तविक स्थिति का आकलन करने के लिए था। आवेदक की आयात को जारी रखने की कोई योजना नहीं है और न ही उसे जारी रखा गया है और एक उत्पादक के रूप में इसकी साख अभी भी बनी हुई है और किया गया आयात पाटित उत्पादों में व्यापक वृद्धि की स्थिति का समग्र रूप से आकलन करने के लिए एक अपवाद मात्र था। फिर भी, किया गया आयात बहुत कम था जिसके फलस्वरूप एक पात्र घरेलू उद्योग के रूप में आवेदक की अयोग्यता नहीं होनी चाहिए।

iii. यह स्पष्ट होगा कि आवेदकों द्वारा किया गया आयात चीन जन.गण. से भारत में संबद्ध वस्तुओं के कुल आयात का ***% से कम है और ऐसे आयात बहुत अधिक नहीं हैं। इस दावे की पुष्टि करने के लिए कि आवेदक द्वारा किए गए आयात बहुत अधिक नहीं हैं, प्राधिकारी द्वारा चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए "प्राकृतिक माइका आधारित पर्ल इंडस्ट्रियल पिगमेंट, जिसमें कॉस्मेटिक ग्रेड शामिल नहीं है" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच के मामले में निर्णय पर विश्वास किया गया है। [फा.सं. 6/8/2020 -डीजीटीआर, 8 जून, 2021] जिसमें उक्त मामले में घरेलू उद्योग द्वारा आयात संबद्ध देश से कुल आयातों का लगभग 5% रहा है।

iv. याचिकाकर्ता संबद्ध वस्तुओं के संबंध में घरेलू उद्योग के रूप में विचार किए जाने के लिए नियम 2(ख) के अंतर्गत मापदंड को पूरा करते हैं।

घ.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

21. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के तहत घरेलू उद्योग को इस तरह से परिभाषित किया गया है:-

> *" (ख)"घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।"*

22. यह नोट किया जाता है कि यह आवेदन मैसर्स ईजी ओपनएंड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है और प्रमाणन जिसे प्रस्तुत किया गया है, यह दर्शाता है कि यह आवेदक एक एमएसएमई इकाई है। आवेदक ने दावा किया है कि वे भारत में संबद्ध वस्तुओं का अकेला उत्पादक है और आवेदक के इस दावे का किसी अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रति तथ्यों से खंडित नहीं किया गया है। उसको देखते हुए, आवेदक को भारत में संबद्ध वस्तुओं का एकमात्र उत्पादक के रूप में माना गया है।

23. आगे यह भी नोट किया जाता है कि आवेदक संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं के किसी निर्यातक अथवा उत्पादक या भारत में पीयूसी के किसी आयातक से संबंधित नहीं है। हालांकि यह नोट किया जाता है कि आवेदक ने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है, जैसा कि आवेदन में माना गया है।

24. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा किए गए आयातों के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों पर विचार किया और वे यह नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान आवेदक द्वारा किया गया आयात भारत की कुल मांग का ***% और कुल आयातों का ***% है जो अधिक नहीं है जिससे कि आवेदक को घरेलू उद्योग के रूप में माने जाने के अधिकार से वंचित किया जाए।

25. इस कारण से, रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना पर विचार करते हुए, प्राधिकारी यह मानते हैं कि यह आवेदक/याचिकाकर्ता इस नियमावली के नियम 2(ख) के आशय से पात्र घरेलू उद्योग है और यह कि यह आवेदन इस नियमावली के नियम 5(3) के संदर्भ में आधार के मापदंड को पूरा करता है।

ङ. <u>गोपनीयता संबंधी मुद्दे</u>

ङ.1 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध</u>

26. गोपनीयता के मुद्दे के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. आवेदक ने दिनांक 07 सितंबर, 2018 की व्यापार नोटिस सं. 10/2018 और पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 का पूर्ण उल्लंघन करते हुए गोपनीयता का दावा किया है।

ii. एनआईपी +-10% उपलब्ध नहीं कराया गया है और व्यापार नोटिस का उल्लंघन करते हुए कुल आयातों का % के रूप में स्वयं के द्वारा किए गए आयातों का विवरण +-5% के रूप में उपलब्ध नहीं कराया गया।

iii. स्टरलाइट इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी 2003 (158) ई.एल.टी 673 (एस.सी) में पाटनरोधी शुल्क मामलों में गोपनीयता के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय सीधे तौर पर वर्तमान मामले में लागू है। उक्त मामले में, गोपनीयता की सूचना के विवेचन के मुद्दे पर, माननीय

उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि गोपनीयता अपने आप नहीं दी जानी थी और यह पूरी छानबीन पर आधारित होनी चाहिए।

iv. वर्तमान मामले में ऐसा प्रतीत होता है कि गोपनीयता के ये दावे उस सूचना जिससे गोपनीयता के दावे संबंधित हैं, का समग्र मूल्यांकन के बिना अपने आप किया गया है।

v. इस मामले में अत्यधिक गोपनीयता ने उच्चतम न्यायालय, सेस्टेट के निर्णयों द्वारा घोषित कानून, प्राधिकारी की अपनी व्यापार नोटिस तथा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते समय सही तरीके से अपने हित का बचाव करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों के अधिकारों का उल्लंघन किया है।

vi. आवेदक ने गौण स्रोतों से आयात संबंधी आंकड़े दिए हैं और इन आंकड़ों को गोपनीय के रूप में नहीं माना जा सकता क्योंकि यह चीन के निर्यातकों द्वारा किए गए निर्यातों से संबंधित हैं।

ड.2. <u>घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध</u>

27. घरेलू उद्योग द्वारा गोपनीयता के मुद्दों के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. विरोधी पक्षकारों ने इस मामले में अत्यधिक गोपनीयता अपनाई है जिसने आवेदक की क्षमता को उनके दावों पर उपयुक्त खंडन करने की क्षमता को सीमित कर दिया है।

ii. आयातकों/प्रयोक्ताओं ने आयात किए गए ईओई की मात्रा और कीमत के विवरण से संबंधित सूचना का कोई सूचीबद्ध सार उपलब्ध नहीं कराया है। यही है जब आवेदक ने एक सूचीबद्ध रूप में अपनी क्षति संबंधी मापदंडों का सार उपलब्ध कराया है।

iii. आवेदक ने स्पष्ट रूप से मात्रा बताई है और डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभावों पर अपने अनेक दावे दिए हैं और दावों का विवरण भी दिया गया है ताकि इसे हर किसी के द्वारा आसानी से समझा जाए। लेकिन आयातकों/प्रयोक्ताओं द्वारा दिए गए उत्तर ने बिना किसी सार के ऐसे दावे को गोपनीय माना है।

iv. एनसीवी उत्तर आवेदक को अपने उत्पाद में विचाराधीन उत्पाद की भूमिका को समझने की अनुमति नहीं देता है ताकि प्रभावी खंडन पाटनरोधी शुल्क के किसी प्रभाव के दावे के संबंध में दिया जा सके।

v. भारत को ईजी ओपन एलआईडी इंडस्ट्री कार्पो. यिव्यू द्वारा निर्यातों में किसी अन्य निर्यातकों की संलिप्तता की जांच उत्तर में अपनाई गई अत्यधिक गोपनीयता को देखते हुए किए जाने की आवश्यकता है।

vi. यद्यपि आवेदक ने इस नियम में यथा-अनुमत्य लेन-देनवार आंकड़ों के संबंध में गोपनीयता का दावा किया है, क्षति की समग्र अवधि के लिए आयातों की मात्रा और मूल्य को दर्शाते हुए उसका सार अन्य हितबद्ध पक्षकारों को दिया गया है। इस कारण से, गोपनीयता के प्रावधान का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

vii. यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदक ने दिनांक 07 सितंबर 2028 के व्यापार नोटिस 10/2018 का उल्लंघन करते हुए अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया। इस तर्क का कोई आधार नहीं है क्योंकि आवेदक ने कुछ सूचना के गोपनीय होने का दावा इस संबंध में स्थापित विधि न्याय के साथ पठित नियम के अंतर्गत यथा-अनुमत्य वैध कारण देकर किया और इसके साथ ही, जहां कहीं भी संभव हुआ अन्य पक्षकारों को सार उपलब्ध कराया गया है।

ड.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

28. सूचना की गोपनीयता के संबंध में इस नियमावली के नियम 7 में प्रावधान निम्नानुसार हैं:

"गोपनीय सूचना"(1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उप नियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।"

29. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की जांच इस नियमावली के नियम 7 के अनुसार गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां कहीं भी आवश्यक हुआ, गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है और इस तरह की सूचना को गोपनीय माना गया है।

30. इस तर्क के संबंध में याचिकाकर्ता ने भारत में कुल आयातों के प्रतिशत के रूप में अपने आयातों की रेंज और क्षतिरहित कीमत की रेंज उपलब्ध नहीं कराई है, यह नोट किया जाता है कि इस तरह की सूचना को इस अधिसूचना में नियम 7 के अंतर्गत अनुमत्य सीमा तक प्रकट नहीं किया जाता है।

च. <u>विविध अनुरोध</u>

च.1 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध</u>

31. निर्यातक/उत्पादक/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विभिन्न मुद्दों के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. प्रतिवादी ईमानदारीपूर्वक प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वे विभिन्न मापदंडों और विश्लेषण को समझने के लिए आवेदक की परियोजना रिपोर्ट की शुरु से अंत तक जांच करें जिसे विचाराधीन उत्पाद के व्यापार की व्यवहार्यता के संबंध में निर्णय लेने के लिए विचार किया गया था।

ii. जैसा कि सुनवाई के दौरान आवेदक द्वारा दावा किया गया है, इसकी क्षमता केवल 60 मिलियन पीस है। तद्नुसार, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि आवेदक भारतीय मांग का केवल लगभग 15% को ही पूरा कर सकता है।

iii. आवेदक ने निर्धारित और परिवर्तनीय खर्च में निर्माण और वेतन/मजदूरी का वर्गीकरण किया है। हमारी आशंका है कि आवेदक का उद्देश्य अपने कुछ निर्माण

और वेतन/मजदूरी को स्वीकार करवाना है क्योंकि यह बिना आदर्श स्थिति के परिवर्तनीय के रूप में उसका दावा किया गया है।

iv. वर्तमान जांच की शुरुआत पूर्ण रूप से आधारहीन है क्योंकि याचिकाकर्ता ने जांच की शुरुआत के लिए शर्तों को सिद्ध करने के लिए कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

v. आवेदक द्वारा विचार किया गया आयात आंकड़ा अविश्वसनीय स्रोतों से लिया गया है और प्राधिकारी को जांच की शुरुआत के समय डीजीसीआईएंडएस के अनुसार आयात आंकड़े लेने चाहिए थे।

vi. पाटनरोधी शुल्क लगाना घरेलू उद्योग के एकाधिकार को स्थापित करेगा, जो जनहित में नहीं होगा।

च.2 <u>घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध</u>

32. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:

i. यद्यपि मांग इतनी अधिक रही है और आवेदक के पास उपलब्ध क्षमता समग्र मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, घरेलू उद्योग अपनी क्षमता उपयोग को किसी सार्थक स्तरों तक बढ़ा नहीं सका और जांच की अवधि के दौरान क्षमता का उपयोग भारत में मांग की तुलना में बहुत कम था।

ii. घरेलू उद्योग को बहुत अधिक अप्रयुक्त क्षमताओं के साथ नहीं छोड़ा जाना चाहिए था जब उपलब्ध क्षमता समग्र भारतीय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस प्रकार, मांग-आपूर्ति में अंतर के बारे में तर्कों में कोई दम नहीं है और यह केवल पाटन को न्यायोचित ठहराने के लिए तर्क है।

iii. घरेलू उद्योग और अधिक भारतीय मांग को पूरा कर सकता है और क्षमता में वृद्धि होगी अगर पाटित आयातों को रोककर कुछ समान अवसर दिए जाएं। यह एक स्थापित विधि शास्त्र है कि मांग-आपूर्ति में अंतर पाटित आयातों को न्यायोचित नहीं ठहरा सकता है और डीएसएम इडेमित्सु लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में माननीय सेस्टेट का इस संबंध में फैसला इस मामले में भी लागू हे।

iv. पाटनरोधी शुल्क अनेक मामलों में लगाया गया है जिनमें मांग-आपूर्ति में अंतर बहुत हाल के जांच परिणामों में भी बहुत अधिक के रूप में पाया गया था। इस प्रकार, वर्तमान मामला मांग-आपूर्ति में अंतर के बारे में नहीं है बल्कि भारतीय

उत्पादक की किसी विवेकपूर्ण स्तर तक अपनी क्षमता का उपयोग करने की असमर्थता के बारे में है जब मांग भारत में बहुत अधिक हो।

v. आवेदक को गौण उपलब्ध स्रोतों के अनुसार आयात संबंधी आंकड़ों पर विश्वास करना था क्योंकि डीजीसीआईएंडएस के अनुसार इन आंकड़ों को नियामक कारणों से इसके द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सका।

vi. सीसीसीएमई का अनुरोध दर्शाता है कि सीसीसीएमई ने एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में अपने दर्जे को नहीं दर्शाया है क्योंकि सीसीसीएमई ने न केवल यह उल्लेख किया है कि वे तीन पक्षकारों के हित का प्रतिनिधित्व करते हैं। सीसीसीएमई ने यह नहीं दर्शाया है कि विचाराधीन उत्पाद के कितने उत्पादकों, निर्यातकों की संख्या क्या है और उनमें से अधिकांश का प्रतिनिधित्व सीसीसीएमई द्वारा किया जा रहा है। यदि सीसीसीएमई इस नियम की शर्तों को पूरा कर एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में अपनी साख को दर्शाता है तब सीसीसीएमई के अनुरोधों को अधिकारिक दृष्टिकोण और चिंताओं के रूप में रिकॉर्ड पर अवश्य नहीं लिया जाना चाहिए।

vii. यह तर्क कि देश में एकमात्र उत्पादक द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन में अनेक खामियां हैं, इस बात में कोई दम नहीं है और इसे अवश्य अस्वीकार किया जाना चाहिए। इस आवेदन में पाटनरोधी जांच के लिए संगत सभी पहलुओं पर तथ्यात्मक रूप से सही सूचना थी।

viii. यह तर्क कि घरेलू उद्योग की परियोजना रिपोर्ट की शुरु से अंत तक जांच करने की आवश्यकता है और अव्यवहार्य परियोजना को प्रस्तुत करने के लिए आवेदक के लिए प्राथमिक कारण कुछ व्यापार करार था जो या तो पूरा नहीं हो सका अथवा खत्म हो गया और यह क्षति का कारण है लेकिन इसमें कोई दम नहीं है। परियोजना रिपोर्ट की वास्तविक क्षति के दावे के मामले में कोई संगतता नहीं है क्योंकि जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा उठाई गई वास्तविक क्षति इस मामले में विवाद का मुद्दा है। माननीय सेस्टेट द्वारा निप्पोन जिओन मामले में यह निर्णय लिया गया है कि घरेलू उद्योग को क्षति के प्रश्न के बारे में आदर्श स्थितियों को मानकर निर्णय नहीं लिया जा सकता है बल्कि सही का समायोजन देते हुए वर्तमान परिस्थितियों के संबंध में निर्णय लिया जाना है। जब क्षति की समग्र अवधि के लिए क्षति संबंधी सूचना के साथ जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा उठाई गई वास्तविक क्षति को प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तब परियोजना रिपोर्ट को कोई भूमिका निभानी नहीं है, जैसा कि आयातकों द्वारा तर्क दिया गया है।

च.3. <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

33. प्राधिकारी ने निम्नलिखित रूप में हितबद्ध पक्षकारों के मतों पर विचार किया है:

i. मांग-आपूर्ति अंतराल की वृद्धि के संदर्भ में प्राधिकारी मानते हैं कि मांग और आपूर्ति में अंतराल को क्षति पहुंचाने वाले पाटित आयातों के विरुद्ध समाधान की मांग करने से घरेलू उद्योग को वंचित करने का कारण नहीं माना जा सकता है। वर्तमान मामले के तथ्य से यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान उत्पाद के लिए मांग ***लाख पीस थी, जिसके विरुद्ध घरेलू उद्योग का उत्पादन ***लाख (***% पर क्षमता उपयोग) पीस रही है जिसमें याचिकाकर्ता/घरेलू उद्योग के पास उपलब्ध क्षमता ***लाख पीस नोट की जाती है। इस प्रकार, भारतीय उत्पादन और कुल उपलब्ध क्षमता जांच की अवधि के दौरान पूरी भारतीय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। उल्लिखित क्षमता जांच की अवधि के दौरान पाई गई भारतीय मांग के लगभग ***% को पूरा कर सकती है।

ii. तथापि, इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में उत्पाद के लिए उपलब्ध क्षमता का पर्याप्त हिस्सा जांच की अवधि के दौरान काफी कम उपयोग किया गया है, जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा ***% क्षमता उपयोग से सिद्ध है। यहां तक कि यद्यपि वर्तमान क्षमता वर्तमान भारतीय मांग को पूरा करने के पर्याप्त नहीं है, तथापि घरेलू उद्योग द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि वह खुद ही वर्तमान क्षमता से काफी अधिक उत्पादन हासिल कर सकता है, यदि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामानों में बेहतर उठान हो।

iii. वर्तमान में, क्षमता का निर्धारण ***% की दक्षता दर पर 12 प्रचालनात्मक घंटा प्रति दिन पर माने गए मशीनी घंटों के आधार पर किया जाता है, जबकि उद्योग लगभग 24 घंटे प्रचालित हो सकते हैं और वर्तमान प्रचालनात्मक क्षमता निर्धारण के प्रयोजन के लिए मानी गई ***% दक्षता के पारंपरिक अनुमान के विरुद्ध ***% से अधिक की है। घरेलू उद्योग यह दावा करता है कि ऐसे परिदृश्य में वास्तविक उत्पादन उपलब्ध वर्तमान क्षमता का लगभग दुगुना हो सकती है। साथ ही, स्थल सत्यापन के दौरान यह दावा किया गया है कि अनुकूल बाजार स्थितियां होने होने पर घरेलू उद्योग के पास उपलब्ध भूमि के बहुत ही कम समय में नई उत्पादन सुविधा जोड़ी जाएगी।

iv. इस तर्क के संबंध में कि आवेदन-पत्र में मजदूरी संबंधी दावों के आधार के आधार सहित क्षति मानदंडों के संबंध में गलत और असंगत सूचना निहित है, यह नोट किया जाता है कि लाभप्रदता और अन्य दावे सत्यापन और जांच के अधीन रखे गए थे और केवल संबद्ध सामानों से संबंधित ऐसे सत्यापित आंकड़ों पर ही वर्तमान अंतिम जांच परिणाम में विचार किया गया है।

v. इस तर्क के संबंध में कि पाटनरोधी शुल्क से याचिकाकर्ता का एकाधिकार होगा और ऐसे कोई भी उपाय जनहित के विरुद्ध होंगे, यह माना जाता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से संबद्ध सामानों का प्रयोग करके विनिर्मित उत्पाद के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं तथा परिणामस्वरूप इस उत्पाद की सापेक्ष प्रतिस्पर्धात्मकता पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है। तथापि, भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा पाटनरोधी उपाय से कम नहीं होगी, विशेष रूप से यदि पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना घरेलू उद्योग को क्षति का समाधान करने के लिए आवश्यक राशि तक प्रतिबंधित किया जाए। इसके विपरीत, पाटनरोधी उपाय लगाए जाने से पाटन की परिपाटियों द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ समाप्त होंगे, घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट रुकेगी और संबद्ध सामानों के उपभोक्ताओं को व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी।

vi. इस तर्क के संबंध में कि आवेदक द्वारा माना गया आयात आंकड़ा अविश्वसनीय स्रोतों से है और प्राधिकारी को जांच की शुरुआत के समय डीजीसीआईएंडएस के अनुसार आयात आंकड़े मंगाने चाहिए थे, यह नोट किया जाता है कि आवेदक ने आयात आंकड़ों के लिए सहायक स्रोत पर विश्वास किया है क्योंकि वह डीजीसीआईएंडएस से उपर्युक्त आंकड़े प्राप्त नहीं कर पाया। तथापि, प्राधिकारी ने जांच की शुरुआत के समय ही डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों पर विश्वास किया और वही आंकड़े इस अंतिम जांच परिणाम के लिए भी प्रयुक्त किए गए हैं।

छ. <u>बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार (एमईटी), सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण</u>

छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

34. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. 11 दिसंबर, 2016 के बाद कोई भी सदस्य देश चीन जन.गण. से आयातों के साथ व्यवहार करते समय पाटनरोधी करार के अनुच्छेद-2 में शामिल सामान्य मूल्य के निर्धारण के संबंध में मानक नियमों से कम करने में सक्षम नहीं होगा।

ii. प्राधिकारी चीन जन.गण. की बाजार अर्थव्यवस्था के विकास के आधार पर चीन जन.गण."बाजार अर्थव्यवस्था स्तर" प्रदान करें, पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2 के अनुसार कोई सामान्य मूल्य परिकलन करें और तद्नुसार सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए अपने उत्तर में उत्तरदाता कंपनी द्वारा की गई लागत और कीमत संबंधी आंकड़े लागू करें।

छ.2 <u>घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध</u>

35. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. पाटन मार्जिन *न्यूनतम* शुरुआत से अधिक ही नहीं है बल्कि समग्र रूप से और निकाले गए पीसीएन के लिए अलग अलग के लिए बहुत अधिक सकारात्मक भी है।

ii. चीन जन.गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाना चाहिए और चीन जन.गण. से उत्पादकों/निर्यातकों के मामले में सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8(2) और (3) के साथ पठित पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। नियमावली के अनुबंध I में पैरा 8 के अनुसार यह माना जाता है कि चीन जन.गण. में संबद्ध सामानों के उत्पादन गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों में प्रचालन कर रहे हैं। अत:, चीन जन.गण. में संबद्ध सामानों का सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार आकलित किया गया है।

iii. प्राधिकारी नोट करें कि उत्तरदाता निर्यातक ने लागू प्रश्नावली के उत्तर दायर करके बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा नहीं किया है और इस संदर्भ में पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध- I के पैरा 7 और 8 के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण बहुत अनिवार्य है।

iv. सामान्य मूल्य कोई भी उपलब्ध आधार उपलब्ध होने पर भारत सहित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में निर्मित मूल्य अथवा तीसरे देश से अन्य देश से कीमत के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता। इस आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विशिष्ट आंकड़ों की आवश्यकता होती है, जो उपलब्ध नहीं है। यहां तक कि भारत में आयात प्रमुख रूप से चीन जन.गण. से रहे हैं और संयुक्त अरब अमीरात से छोटे से आयात को छोड़कर किसी अन्य देश से प्रमुख आयात नहीं हैं। इसको ध्यान में रखते हुए आवेदक को भारत में प्रदत्त अथवा देय वास्तविक

कीमत, उपयुक्त लाभ मार्जिन शामिल करके विधिवत समायोजित, के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा करना है।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

सामान्य मूल्य

36. धारा 9क(1)(ग) के तहत किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य से तात्पर्य है:

(i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप धारा (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

(ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रकिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगाः-

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र से किसी उपयुक्त तीसरे देश को किया गया हो; अथवा
उपधारा- (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु के उत्पादन की लागत;

(ख) *बशर्ते कि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।*

बशर्ते कि मूल देश के अलावा किसी अन्य देश से वस्तु के आयात के मामले में और जहां वस्तु को निर्यात के देश के माध्यम से केवल ट्रांसशिप किया गया हो या ऐसी वस्तु का निर्यात के देश में उत्पादन नहीं

किया गया हो या वहां कोई तुलनीय कीमत न हो निर्यात के देश में सामान्य मूल्य मूल देश में इसकी कीमत के संदर्भ में निर्धारित किया जाएगा।

चीनी उत्पादकों के लिए बाजार अर्थव्यवस्था स्तर

37. डब्ल्यूटीओ में चीन के अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित प्रावधान है: "जीएटीटी 1994 का अनुच्छेद VI प्रशुल्क एवं व्यापार संबंधी सामान्य करार(पाटनरोधी करार) और एससीएम करार 1994 के अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन संबंधी करार निम्नलिखित के अनुरूप डब्ल्यूटीओ सदस्य पर चीनी मूल के आयातों में शामिल कार्यवाहियों में लागू होगा:

(क) "जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद- VI और पाटनरोधी करार के तहत कीमत तुलनात्मकता का निर्धारण करने में, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे अथवा उस पद्धति का उपयोग करेंगे, जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर घरेलू कीमतों या चीन में लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने पर आधारित नहीं है:

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती है तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।

(ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजयसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता

लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यामान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।

(ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।

(घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क) (II) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

38. यह नोट किया जाता है कि यद्यपि अनुच्छेद 15(क)(ii) में निहित प्रावधान दिनांक 11.12.2016 को समाप्त हो चुके हैं, लेकिन अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15(क)(i) के अन्तर्गत दायित्व के साथ पठित डब्ल्यूटीओ के अनुच्छेद 2.2.1.1 के तहत प्रावधान में, बाजार अर्थव्यवस्था स्थिति का दावा करने के संबंध में अनुपूरक प्रश्नावली में प्रदान की जाने वाली सूचना/डेटा के माध्यम से नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8 में निर्दिष्ट मानदंड को पूरा किया जाना अपेक्षित है। यह नोट किया जाता है कि चूंकि चीन जन.गण. से उत्तरदाता उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्धारित रूप में और निर्धारित तरीके से प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है, अत: सामान्य मूल्य की गणना नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार की जानी आवश्यक है।

39. तद्नुसार, संबद्ध देश के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया गया है।

<u>चीन जन.गण. के सभी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य</u>

40. चूंकि चीन जन.गण. से किसी भी उत्पादक ने निर्धारित प्रश्नावली में उत्तर देकर अपने डेटा/सूचना के आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण का दावा नहीं किया है, अत: सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार किया गया है, जो इस प्रकार है:

> *गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत रहित, सामान्य मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं हैं, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। संबद्ध देश के विकास के स्तर तथा संबद्ध उत्पाद को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पद्धति द्वारा एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय पर उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समयानुरूपी मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां उचित हों, समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी। जांच से संबंधित पक्षकारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के उपर्युक्त चयन में अनुचित विलंब के बिना सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक समुचित समयावधि प्रदान की जाएगी।*

41. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सामान्य मूल्य उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में उत्पाद की कीमत तथा निर्मित मूल्य अथवा ऐसे तीसरे देश से अन्य देशों को कीमतों के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता क्योंकि संगत सूचना न तो आवेदक द्वारा अथवा किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है और न ही किसी सार्वजनिक स्रोत से प्राधिकारी के पास उपलब्ध है। साथ ही, भारत में संबद्ध

सामानों का आयात प्रमुख रूप से संबद्ध देश से रहा है और किसी अन्य देश से बहुत कम आयात ही रहे हैं, अत: बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से भारत में कीमत पर विचार करना व्यवहार्य नहीं होगा। इस प्रकार, सामान्य मूल्य लाभ को शामिल करने के लिए विधिवत् समायोजित, भारत में प्रदत्त अथवा देय कीमत के आधार पर ही निर्धारित किया जा सकता है जिसे बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चे और उपयुक्त लाभ जोड़ने के बाद भारत में उत्पादन लागत पर विचार करते हुए निर्धारित किया गया है। इस प्रकार, प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के अनुसार और निर्धारित पीसीएन के आधार पर भारत में प्रदत्त प्रमुख कच्ची सामग्री की कीमतों और अन्य लागतों पर विचार करते हुए अनुकूलित उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्मित किया है। इसके अतिरिक्त, सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजन के लिए उत्पादन लागत में उपयुक्त लाभ जोड़ा गया है। सामान्य मूल्य चीन जन.गण. के सभी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्धारित किया गया है और पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित किया गया है।

<u>सहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण</u>

i. <u>निर्यात कीमत</u>

<u>क) ईजी ओपन एलआईडी इंडस्ट्री कोर्प यिव्यू</u>

42. ईजी ओपन एलआईडी इंडस्ट्री कोर्प यिव्यू, जो संबद्ध सामानों का उत्पादक एवं निर्यातक है, के निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर से यह नोट किया जाता है जांच की अवधि के दौरान कंपनी के अपनी असंबद्ध कंपनी अर्थात मै. विक्ट्री फूड स्पेशलिटीज एफजेडई के माध्यम से *** अम.डालर मूल्य के सीधे ही और अप्रत्यक्ष रूप से भारत को *** लाख पीस का निर्यात किया है और एंड मै. लैमी इंटरनेशरल लिमिटेड ने *** अम.डालर मूल्य के भारत को *** लाख पीस का निर्यात किया। यह पाया जाता है कि उत्पादक/निर्यातक की असंबद्ध कंपनियों ने निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नावली के कोई उत्तर दायर नहीं किए। प्राधिकारी ने डेस्क सत्यापन के दौरान आंकड़ों और अन्य समर्थक दस्तावेज़ों का सत्यापन किया है। यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान असंबद्ध कंपनियों के माध्यम से निर्यात भारत को निर्यातित संबद्ध सामानों का ***% था, जिसका उत्तर संबद्ध देश के निर्यातक/उत्पादक द्वारा दायर नहीं किया गया है।

43. प्राधिकारी द्वारा यह भी नोट किया जाता है कि ऐसे असहयोगी निर्यातकों के माध्यम से भारत को किए गए निर्यात भारत को कुल निर्यातों के संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण हैं। चूंकि इन अन्य निर्यातकों द्वारा उत्तर दायर नहीं किया गया है अत: मूल्य श्रृंखला पूर्ण नहीं है। तद्नुसार, प्राधिकारी निर्यातक/उत्पादक के उत्तर को स्वीकार नहीं करते और सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर कंपनी के लिए निर्यात कीमत निर्धारित करते हैं तथा यह निम्नलिखित पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाई गई है।

चीन जन.गण. में सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण

44. चीन.जन. गण के अन्य असहयोगी निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत असहयोगी निर्यातकों के लिए जांच किए गए आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध तथ्यों के अनुसार निर्धारित की गई है और वह पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

पाटन मार्जिन

45. संबद्ध सामानों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत को ध्यान में रखते हुए संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के लिए पाटन मार्जिन निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया गया है:

पाटन मार्जिन तालिका

क्र.सं.	देश	उत्पादक	व्यास/ पीसीएन	सामान्य मूल्य यूएसडॉलर/प्रति लाख पीस	निवल निर्यात कीमत यूएसडॉलर/प्रति लाख पीस	पाटन मार्जिन यूएसडॉलर/प्रति लाख पीस	पाटन मार्जिन %	पाटन मार्जिन (रेंज %)
1	चीन जन.गण.	कोई	300	***	***	***	***	15-25
			401	***	***	***	***	25-35
			भारित औसत	***	***	***	***	20-30

ज. क्षति का मूल्यांकन और कारणात्मक संपर्क

ज.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

46. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. आवेदक ने यह बताने का प्रयास किया है कि मानों उनकी समस्याएं चीन से तथाकथित पाटन के कारण है। यह मामले के तथ्यों से उत्पन्न नहीं होता। यदि कोई क्षति है तो वह स्पष्ट रूप से अन्य कारकों के कारण से है।

ii. एनपीयूसी उत्पादन में काफी गिरावट आई है और निर्यात बिक्री शून्य तक कम हुई है। यह स्पष्ट है कि विचाराधीन उत्पाद की निर्यात बिक्री और एनपीयूसी के उत्पादन में गिरावट से अन्य क्षति कारक प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं और इससे विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में गिरावट आई है, क्षमता उपयोग में परिणामस्वरूप गिरावट आई, उत्पादन लागत में वृद्धि हुई क्योंकि उत्पादन में गिरावट से सीधे ही निर्धारित उत्पादन लागत प्रति यूनिट यथा मूल्यह्रास, ब्याज लागत, आदि में वृद्धि होती है।

iii. कच्ची सामग्री की उच्च लागत तथाकथित क्षति का प्रमुख कारण है। गुणवत्ता नियंत्रण आदेश में टिनप्लेट/टिन-मुक्त स्टील जैसे उद्योग के प्रमुख इनपुट पर अनिवार्य बीआईएस प्रमाणन लगाया। ईओई उद्योग के लिए इस प्रमुख कच्ची सामग्री के आयात के सामने यह अस्थाई बाधा आ रही है।

iv. आवेदक स्क्रोल शीट की बजाए आयताकार शीट का प्रयोग कर रहा है, इसके परिणामस्वरूप चीन जन.गण. के उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रयुक्त की जा रही स्क्रोल शीट के प्रयोग की तुलना में 10% तक टिन प्लेट की खपत में वृद्धि होती है।

v. आवेदक के पास पूर्णत: स्वचालित उच्च गति की उत्पादन लाइनें नहीं हैं, जिसके परिणामस्वरूप चीन जन.गण. के उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रयुक्त एकीकृत उच्च गति लाइनों की तुलना में कम उत्पादकता और अधिक लागत होती है।

vi आवेदक बैच एनील्ड (बीए) टिनप्लेट का प्रयोग कर रहा है जबकि चीन जन.गण. के उत्पादक/निर्यातक सतत अनील्ड (सीए) टिनप्लेट का प्रयोग कर रहे हैं। उत्पादन गुणवत्ता में सततता बीए प्रौद्योगिकी में चिंता है।

vii. उत्तरदाताओं की बाजार आसूचना के अनुसार आवेदक पुरानी कम गति वाली पुरानी मशीनों का प्रयोग कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप कम उत्पादकता होती है और अधिक लागत आती है। यह आवेदक को हुई क्षति, यदि कोई है, का कारण है।

viii. आवेदक के पास आंतरिक बेतरतीब और मुद्रण सुविधाएं नहीं हैं, जो उनकी उत्पादन लागत बढ़ाते हैं और उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को कम करते हैं। आवेदक टाटा के जमशेदपुर संयंत्र से अपने उत्पाद को बेतरतीब और मुद्रित करवाते हैं जबकि आवेदक का कारखाना नोएडा में स्थित है।

ix. चीन जन.गण. से आयात मांग के अनुसार चले हैं और वे आयात मांग को पूरा करने के लिए रहे हैं।

x. यह नोट किया जा सकता है कि बिक्री कीमत में वृद्धि लागत में वृद्धि से अधिक रही है। इससे लाभ हो सकता है। इस प्रकार, जांच की अवधि के दौरान कोई कीमत प्रभाव नहीं है।

xi. विचाराधीन उत्पाद और गैर-विचाराधीन उत्पाद दोनों की मदों के उत्पादन में भारी गिरावट है। गैर-विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में गिरावट के लिए कोई कारण नहीं दिया गया है।

xii. यह समझ में नहीं आता कि आवेदक की बिक्री में गिरावट क्यों आई जबकि संबद्ध सामानों के लिए मांग में वृद्धि रही है। क्षति का कारण कोई अन्य कारण हो सकते हैं। आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान मालसूची में गिरावट आई।

xiii. आवेदक को इसकी शुरुआत से हानियां हुई हैं। उत्पादन शुरु होने से पूर्व किसी भी हानि को अलग किया जाना चाहिए। आवेदक उसी संयंत्र में विचाराधीन उत्पाद और गैर-विचाराधीन उत्पाद का उत्पाद कर रहा है। प्राधिकारी इस बात की जांच करें कि क्या गैर-विचाराधीन उत्पाद की लागत हानियों का कारण है।

xiv. निवल अचल परिसंपत्ति आंकड़ों, औसत नियोजित पूंजी, मूल्यह्रास और संस्थापित क्षमता के बीच कोई सह-संबंध नहीं है, जिसकी जांच किए जाने की आवश्यकता है। आवेदक की वार्षिक रिपोर्ट और आर्थिक मानदंडों के बीच कोई सह-संबंध नहीं है।

xv. आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पादों का प्रयोग महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए नहीं किया जा सकता। अत:, 80% से अधिक आयात नाजुक उद्योग में है। आवेदक की ब्याज की लागत में वृद्धि हुई है जिस पर घरेलू उद्योग से स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।

xvi. घरेलू उद्योग भारत में टिन प्लेट के केवल आपूर्तिकर्ता (दि टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया -टीसीआईएल) पर विश्वास कर रहा है और घरेलू उद्योग का मुद्दा यह है कि टिन प्लेट आपूर्तिकर्ता ने पूर्व में सब्सिडी प्रदान की इससे घरेलू उद्योग ईओई की बिक्री कर सकते हैं और उपर्युक्त कंपनी ने अब सब्सिडी बंद कर दी है तथा दरें बढ़ा दी हैं और साथ ही, इन्हीं कंपनियों ने नहीं बढ़ाई हैं, जो क्षति का कारण हो सकती हैं।

xvii. ऐसा प्रतीत होता है कि निवल अचल परिसंपत्ति में वृद्धि अब सामान्य रूप से उच्च गैर-क्षतिकारक कीमत (एनआईपी) और निर्मित सामान्य मूल्य (सीएनवी)

का दावा करने के लिए गलत ढंग से सूचित की गई है इससे से सीधे ही पाटन तथा क्षति मार्जिन का सतर प्रभावित होता है।

xviii. प्राधिकारी कृपया विद्यमान दर और ब्याज दर ढांचे को ध्यान में रखते हुए 22% आरओसीई लागू करने की की परिपाटी में संशोधन करें।

ज.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

47. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. घरेलू उद्योग को नियमावली में परिकल्पितानुसार वास्तविक क्षति और बहुत अधिक स्वरूप की मात्रा और कीमत क्षति प्रदर्शित है।

ii. संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयात आधार वर्ष में जांच की अवधि तक भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में तथा पूर्ण मात्रा में और साथ ही तत्काल पूर्व वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है।

iii. आयातों के बाजार हिस्से में क्षति की अवधि में और जांच की अवधि में वृद्धि हुई जबकि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में पूर्व वर्ष तथा आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में गिरावट आई। घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा जांच की अवधि के दौरान न्यूनतम स्तर पर था और पाटित आयातों का बाजार हिस्सा जांच की अवधि के दौरान उच्चतम स्तर पर रहा है।

iv. घरेलू उद्योग की क्षमता वही रही है, यहां तक कि यद्यपि बाद के लिए मांग अत्यधिक बढ़ी हुई रही है। घरेलू उद्योग काफी अपर्युक्त क्षमताओं पर रह गया था क्योंकि प्रमुख बाजार हिस्सा पाटित आयातों ने ले लिया था।

v. घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री में तत्काल पूर्व वर्ष और आधार वर्ष में भी जांच की अवधि के दौरान गिरावट आई। यहां तक कि मालसूची स्तर जांच की अवधि के दौरान काफी रहा। यह तब है जब देश में उत्पाद के लिए मांग में वृद्धि रही है और देश में क्षमता उस उत्पाद के लिए समग्र मांग से कम रही है।

vi पहुंच कीमत काफी सकारात्मक कीमत कटौती स्तरों पर रही है और काफी कीमत न्यूनीकरण प्रभाव ही बने हैं। घरेलू उद्योग को उचित स्तरों तक कीमतें बढ़ाने से रोका गया था ताकि पूरी लागत वसूल सकें और उपयुक्त लाभ अर्जित कर सकें।

vii. घरेलू उद्योग को जांच की अवधि के दौरान नकारात्मक आरओआई सहित नकारात्मक पीबीटी, नकारात्मक पीबीआईटी, नकारात्मक पीबीडीआईटी और सतत हानियों में दर्शाए गए अनुसार वित्तीय हानियां हुई। वस्तुत: निवेश पर आय, जो

आधार वर्ष और तत्काल पूर्व वर्ष के बीच सुधरती हुई प्रवृत्ति पर रही है, एक बार फिर जांच की अवधि में काफी नकारात्मक हो गई जो घरेलू उद्योग पर पाटन की बहुत अधिक मात्रा और उसके प्रभावों को दर्शाती है।

viii. घरेलू उद्योग में रोजगार का स्तर प्रभावित हुआ क्योंकि घरेलू उद्योग को उत्पादन में आई गिरावट से कर्मचारियों को कम करने के लिए मजबूर किया गया था। यदि स्थिति में सुधार नहीं होता तो घरेलू उद्योग को और अधिक कर्मचारी कम करने पड़ेंगे।

ix. जांच की अवधि के दौरान अधिकतर क्षति मानदंडों में वृद्धि को नकारात्मक नोट किया जा सकता है। वस्तुत: जो वृद्धि पूर्व वर्ष तक कई मानदंडों तक सकारात्मक थी वह चीन जन.गण. से संबद्ध सामानों के पाटन के प्रभाव के बाद जांच की अवधि में एक बार फिर बहुत नकारात्मक हो गई। पूंजी निवेश बढ़ाने की घरेलू उद्योग की क्षमता काफी प्रभावित हुई है और पहले से ही किए गए निवेशों को गंभीर रूप से हानि होती रही है। इस प्रकार, कीमत पर मात्रात्मक मानदंड दोनों यह दर्शाते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के परिकल्पितानुसार घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

x. याचिका में यह भी दर्शाया गया है कि घरेलू उद्योग को क्षति किसी अन्य कारक के कारण नहीं हुई है तथा पाटित आयातों और आवेदक को हुई क्षति के बीच सीधा कारणात्मक संबंध है।

xi. इस तर्क के संबंध में कि पूर्णत: प्रचालित उच्च गति वाली उत्पादन लाइनों का अभाव, जिसके परिणामस्वरूप चीन जन.गण. के उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रयुक्त एकीकृत उच्च गति लाइनों की तुलना में कम उत्पादकता होती है, आवेदक का उत्पादन अर्ध-स्वचालित है और घरेलू उद्योग की उत्पादकता पूर्ण स्वचालन के अभाव के कारण प्रभावित नहीं थी।

xii. इस तर्क के संबंध में कि बेकार प्रौद्योगिकी (बीए -बैच एनीलिंग प्रोसेसिंग), का प्रयोग, जिसमें उत्पादन/गुणवत्ता में सततता एक संबंध है, यह नोट किया जाए कि इस तर्क का कोई अर्थ नहीं है। बीए और सीए प्रौद्योगिकियां इन प्लेटों के उत्पादन के लिए उपलब्ध प्रौद्योगिकियां हैं न कि ईओई के लिए। बीए प्रौद्योगिकी द्वारा टिन प्लेट खाद्य सामग्री सहित पैकेजिंग प्रयोजनों के लिए भारत में व्यापक रूप से प्रयुक्त की जाती है और आवेदक द्वारा खरीदी गई टिन प्लेटें स्पष्ट रूप से टिन प्लेटों का उत्पादन करने के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा करती हैं। घरेलू उद्योग का उत्पाद टिनप्लेट प्रौद्योगिकी के कारण कभी रद्द नहीं किया गया था।

xiii. इस तर्क के संबंध में कि पुरानी कम गति वाली पुरानी मशीनों के प्रयोग से, जिससे कम उत्पादन होता है, आवेदक ने सभी नई मशीनों के साथ 2016 में उत्पादन आरंभ किए और 2018 में कंपनी द्वारा खरीदी गई केवल कन्वर्जन प्रैस ब्रांड-न्यू नहीं थी जो प्रमुख रूप से कंपनी की विद्यमान प्रचालनात्मक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए थी। ब्रांड-न्यू न होने वाली मशीन का अर्थ यह नहीं है कि मशीन उत्पादन के लिए अनफिट थी अथवा घटिया निष्पादन वाली थी, जैसा कि विरोधी पक्षकारों द्वारा बताया जा रहा है। उपर्युक्त मशीन इसलिए खरीदी गई थी क्योंकि उसकी प्रौद्योगिकी उत्पादन लाइन को बहुत अच्छी तरह से पूरा करती थी और मशीन की स्थितियों का परीक्षण करने के बाद उस समय नई मशीन लेना विवेकपूर्ण नहीं था। यह मशीन संयंत्र में सुदृढ निष्पादन कर रही थी।

xiv. इस तर्क के संबंध में कि कोई आंतरिक बेतरतीब और मुद्रण सुविधाएं नहीं थी जो उत्पादन लागत बढ़ाती हैं, यह नोट किया जाए कि आवेदक की उत्पादन के आरंभिक वर्षों के भीतर अपने उत्पादन लाइन के बेतरतीब और मुद्रण लाइन एकीकृत करने की योजना थी। परंतु चीन जन.गण. से निर्यातकों द्वारा किए जा रहे आक्रामक पाटन के कारण आगे निवेश में देरी की गई थी ताकि कमी वाले और मुद्रित स्थिति में टिनप्लेट उपलब्ध है तथा इन प्रक्रियाओं का एकीकरण तब होगा जब बाजार में प्रतिस्पर्धा की स्थितियां क्षति कारक पाटन बंद करके अनुकूल हो जाएं।

xv. इस तर्क के संबंध में कि टिन प्लेट के एकमात्र आपूर्तिकर्ता, जो बीए प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रहा है, जो आवेदक उद्योग की सौदेबाजी ताकत को कम करता है और परिणामस्वरूप उत्पादन लागत बढ़ाता है, यह नोट किया जाए कि भारत में टिन प्लेट के एक से अधिक उत्पादक हैं और भारत में टिन प्लेट प्रतिस्पर्धी दरों पर उपलब्ध हैं।

xvi. इस तर्क के संबंध में आवेदक के पास उत्पादन लाभ नहीं है क्योंकि वे स्क्रोल कट शीटों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, यह नोट किया जाए कि पूरी क्षति अवधि के लिए कच्ची सामग्री को खपतकारक किया गया है और यह नोट किया जा सकता है कि कच्ची सामग्री के प्रयोग में कोई विसंगति आवेदक को क्षति का कारण नहीं रही है। जांच की अवधि और पूर्व वर्षों के दौरान कच्ची सामग्री के प्रयोग का कारक यह दर्शाएगा कि इस तर्क का कोई अर्थ नहीं है।

xvii. इस तर्क के संबंध में कि गैर-विचाराधीन उत्पाद के क्षमता उपयोग में भी गिरावट आई है और इसके लिए कोई कारण घरेलू उद्योग द्वारा नहीं दिया गया है, प्राधिकारी नोट करें कि विचाराधीन उत्पाद की क्षमता और क्षमता उपयोग संबंधी

सूचना अलग से दी गई है और विचाराधीन उत्पाद की प्रवृत्ति क्षति जांच में संगत है क्योंकि अकेले समान वस्तु से संबंधित क्षति पाटनरोधी नियमावली के अनुसार संगत है।

xviii. इस तर्क के संबंध में कि बिक्री में गिरावट उस समय क्यों हुई है जब मांग में वृद्धि रही है और बिक्री में गिरावट अन्य कारणों से हो सकती है, प्राधिकारी नोट करें कि यह स्पष्ट रूप से घरेलू उद्योग का मामला है कि घरेलू उद्योग ने बाजार हिस्सा खोया, पाटित आयातों द्वारा बेकार/अनुपयुक्त क्षमता पर बैठने के लिए रखा गया था तथा उस समय उसे मात्रात्मक और कीमत क्षति का सामना करना पड़ा जब देश में इस उत्पाद के लिए मांग में काफी वृद्धि रही है तथा यह प्रतिकूल स्थिति अटूट तरीके से देश में हो रहे पाटित आयातों के कारण भी रही है।

xix. कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट से ली गई आवेदक की वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर क्षति संबंधी तर्क के संबंध में प्राधिकारी नोट करें कि आवेदन पत्र और वार्षिक रिपोर्ट में प्रस्तुत आंकड़े अन्य उत्पादों के कारण समान नहीं हैं।

xx. इस तर्क के संबंध में आवेदक की ब्याज लागत बढ़ी है जिसे घरेलू उद्योग से स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता है, पूर्ण दृष्टि से ब्याज लागत जांच की अवधि में काफी कम हुई है (प्रपत्र IVक में दर्शाए गए अनुसार लगभग ***% गिरावट) और प्रति यूनिट उत्पादन पर ब्याज लागत में देखी गई वृद्धि जांच की अवधि के दौरान उत्पादन में भारी गिरावट के कारण है जो पाटित आयातों में वृद्धि के कारण थी।

xxi. इस तक के संबंध में कि औसत नियोजित पूंजी बढ़ी जब क्षमता में कोई वृद्धि नहीं थी और आंकड़ों में कुछ त्रुटि दिखाई देती है, प्राधिकारी नोट करें कि नियोजित पूंजी अकेले क्षमता वृद्धि से नहीं जुड़ी है, जैसा कि तर्क दिया गया है और विद्यमान क्षमता के लिए भी संयंत्र और मशीनरी आदि में निवेशों की आवश्यकता है तथा ऐसी स्थिति में नियोजित पूंजी किसी क्षमता वृद्धि के अभाव में भी अलग अलग हो सकती है क्योंकि नियोजित पूंजी निवल अचल परिसंपत्ति और कार्यशील पूंजी की राशि होती है।

xxii. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादों का प्रयोग गैर-महत्वपूर्ण प्रयोगों के लिए ही किया जा सकता है और लोग महत्वपूर्ण प्रयोजनों के लिए ही चीन जन.गण. से आयात करते हैं, घरेलू उद्योग द्वारा आसान खुले सिरों की आपूर्ति विशेष रूप से 'रिटोर्ट टाइप' अनुप्रयोग के लिए की जाती हैं जहां भरी हुई केन हमारे ग्राहकों द्वारा उल्लिखितानुसार 121 डिग्री के तापमान पर 45-90

मिनिट के लिए रिटोर्ट स्थितियों में रखा जाता है। घरेलू उद्योग के उत्पाद फल, सब्जी, मीट आदि जैसे किसी महत्वपूर्ण उत्पाद को रिटोर्ट के लिए उपयुक्त हैं। वस्तुत: रिटोर्ट परीक्षण यह मूल्यांकन करने के लिए उपयुक्त पद्धति है कि क्या उत्पाद नाजुक उपयोग के लिए उपयुक्त है अथवा नहीं और हमारे ईओई इस परीक्षण को सतत रूप से पास करते हैं तथा पूरी तरह से पास होते हैं।

xxiii. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग केवल एक आपूर्तिकर्ता पर विश्वास कर रहा है और उपर्युक्त आपूर्तिकर्ता ने अब सब्सिडी बंद कर दी है जबकि चीनी लागत बढ़ी नहीं है, ईओई के चीनी उत्पादक स्वीकार्य रूप से गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों में प्रचालन करते हैं और यह कथन कि उनकी लागत नहीं बढ़ी है, समझने वाली बात नहीं है। साथ ही, भारत की टिन प्लेट कंपनी टिन प्लेटों की एकमात्र आपूर्तिकर्ता थी जब घरेलू उद्योग ने उत्पादन शुरु किया था, यद्यपि अब और अधिक उत्पादक हैं और घरेलू उद्योग ने टिन प्लेट की बाजार कीमत के आधार पर दि टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया से टिन प्लेट खरीदी तथा घरेलू उद्योग ने उस समय कभी भी कोई सब्सिडी नहीं ली। असली मुद्दा यह है कि निर्यातक इतनी कम कीमतों पर ईओई की बिक्री कैसे करते हैं। साथ ही, टीसीआईएल द्वारा घरेलू उद्योग को पेश की गई टिन प्लेट की कीमत एचआरसी और अन्य प्रमुख कच्ची सामग्री के अनुरूप चली और यह नहीं कहा जा सकता कि घरेलू उद्योग को क्षति टीसीआईएल द्वारा कच्ची सामग्री की किसी अनैतिक कीमत के कारण हुई है।

ज.3. <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

48. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और विरोधी पक्षकारों के विभिन्न अनुरोधों को नोट किया है और रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों और लागू कानूनों पर विचार करके उनका विश्लेषण किया है। प्राधिकारी द्वारा नीचे किए गए क्षति विश्लेषण से हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों का यथा-तथ्यप: समाधान हो जाता है।

49. अनुबंध-II के साथ पठित नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में "…..पाटित *आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के आयातों का परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए …*" घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाने वाले कारकों की जांच शामिल होगी। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव

को ध्यान में रखते हुए, इस बात की जांच करना आवश्यक माना गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा यह कि क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव से अन्यथा कीमतों का बहुत अधिक मात्रा में ह्रास हुआ है अथवा कीमत में वृद्धि रूक जाती जो अन्यथा बहुत अधिक मात्रा में हुई होती। भारत में घरेलू उद्योगों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए, इन सूचकांकों जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो जैसे उत्पादन, क्षमता का उपयोग, बिक्री की मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि पर विचार पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार किया गया है।

50. क्षति और कारणात्मक संपर्क संबंधी विभिन्न तर्कों के संबंध में, विरोधी पक्षकारों का महत्वपूर्ण अनुरोध यह है कि आवेदक द्वारा दावा की गई क्षति अन्य कारणों से है और यह तर्क नहीं है कि घरेलू उद्योग को पाटनरोधी नियमावली में परिकल्पनानुसार कतई क्षति नहीं हुई। यह तर्क दिया जाता है कि उत्पाद के गुणवत्ता संबंधी मुद्दे संबद्ध सामानों का उत्पादन करने के लिए कच्ची सामग्री का उत्पादन करने हेतु मुख्य रूप से प्रौद्योगिकी में अंतर के कारण है अर्थात् घरेलू उद्योग को क्षति का मुख्य कारण टिन प्लेट रही है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि न तो उस प्रौद्योगिकी में अंतर और न ही गुणवत्ता में तथाकथित अंतरों को या तो पाटन मार्जिन अथवा क्षति विश्लेषण के प्रयोजनों के लिए किसी उत्पाद को हटाए जाने हेतु आधार माना जा सकता है। यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग भारी संख्या में ग्राहकों को संबद्ध सामानों की आपूर्ति कर रहा है और बाजार द्वारा उनकी गुणवत्ता को स्वीकार किया गया है, जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा की गई बिक्री से सिद्ध है। किसी भी दशा में किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने अपने इस दावे को सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि विद्यमान प्रौद्योगिकी से घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सामान गुणवत्ता और अन्य तकनीकी मुद्दों के कारण उनके द्वारा प्रयुक्त नहीं किए जा सकते। अतः, प्राधिकारी मानते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के लिए कच्ची सामग्री का उत्पादन करने की प्रौद्योगिकियों में अंतर तब तक क्षति संबंधी किसी निष्कर्ष का आधार नहीं बन सकते जब तक उत्पाद तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं।

51. यह भी तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग को क्षति अन्य कारणों से है, यथा - घरेलू उद्योग का संयंत्र पूर्णतः स्वचालित नहीं है, घरेलू उद्योग पुरानी मशीन का प्रयोग कर

रहा है, घरेलू उद्योग के पास आंतरिक बेतरतीब और मुद्रण सुविधाएं नहीं हैं, घरेलू उद्योग आयातित कच्ची सामग्री और उपभोक्ता वस्तुओं का प्रयोग कर रहा है। घरेलू उद्योग के पास उत्पादन लाभ नहीं है क्योंकि वे स्क्रोल शीटों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं और घरेलू उद्योग भारत में टिन प्लेट के केवल एक आपूर्तिकर्ता पर विश्वास करता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति का प्रश्न आदर्श स्थितियों को लेकर निर्धारित नहीं किया जा सकता बल्कि उपयुक्त समायोजन देकर विद्यमान स्थितियों पर निर्धारित किया जाना होता है। प्राधिकारी ने अपने वित्तीय आंकड़ों सहित घरेलू उद्योग के दावों को नियमावली के अनुसार कठोर जांच के अध्यधीन रखा है और केवल कच्ची सामग्री, यूटिलिटियों आदि के सर्वाधिक दक्ष प्रयोग पर ही क्षति का निर्धारण करते समय स्वीकार किया गया है।

52. इस तर्क के संबंध में कि कच्ची सामग्री की उच्च लागत तथाकथित क्षति का प्रमुख कारण है, प्राधिकारी ने निम्नलिखित बातें नोट की हैं। संबद्ध सामानों के उत्पादन में प्रमुख कच्ची सामग्री टिनप्लेट है और घरेलू उद्योग ने घरेलू आपूर्तिकर्ता से ही कोटेड/बेतरतीब और मुद्रित स्थिति में टिनप्लेट खरीदी। यह भी जांच की जाती है कि क्या टिनप्लेट की लागत में वृद्धि के कारण तथाकथित क्षति है, जैसा कि नीचे दी गई सूचना के आधार पर तर्क दिया गया है;

विवरण	**यूनिट**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**जांच की अवधि**
प्रमुख कच्ची सामग्री लागत कोटेड और प्रिंटेड टिनप्लेट	लाख रु.	***	***	***	***
उत्पादन	पीस	***	***	***	***
प्रमुख कच्ची सामग्री लागत कोटेड और प्रिंटेड टिनप्लेट	रु./पीस	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	136	146
बिक्री लागत	रु./पीस	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	82	103	136
कुल लागत में टिनप्लेट लागत का	%	***	***	***	***

हिस्सा					
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	123	130	106
पीबीटी (कर पूर्व लाभ)	रु./पीस	(***)	(***)	(***)	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(16)	(22)	(124)
पहुंच कीमत (एलवी)	रु./पीस	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	107	120	135

53. उपर्युक्त बिक्री कीमत तालिका यह दर्शाती है कि जहां तक कि जब टिनप्लेट का हिस्सा, जो प्रमुख कच्ची सामग्री है, घरेलू उद्योग की कुल लागत में 33 सूचकांकों तक जांच की अवधि और तत्काल पूर्व वर्ष के बीच कम हुआ तो घरेलू उद्योग के लाभ में लगभग 124 अंक तक गिरावट आई। इस संबंध में यह भी नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान आयातों की पहुंच कीमत बिक्री लागत और घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम रही है। इस प्रकार, जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के लाभ में गिरावट अकेले कच्ची सामग्री लागत में किसी वृद्धि से नहीं जोड़ी जा सकती, जैसा कि तर्क दिया गया है।

54. विरोधी पक्षकारों के इस तर्क के संबंध में कि क्षति का कारण गैर-विचाराधीन मदों के उत्पादन में गिरावट हो सकती है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस विवरण में हल की जा रही क्षति का संबंध केवल विचाराधीन उत्पाद से है।

55. इस अनुरोध के संबंध में प्राधिकारी को विद्यमान कर और ब्याज दर ढांचे को ध्यान में रखते हुए 22% आरओसीई लागू करने की परिपाटी में संशोधन करना चाहिए, यह नोट किया जाता है कि एनआईपी निर्धारण के प्रयोजन के लिए अनुमत 22% आरओसीई विभाग में सतत परिपाटियों के अनुसार है और यह परिपाटी वर्तमान मामले में भी उचित मानी जाती है।

i. <u>घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव</u>

क. <u>मांग/स्पष्ट खपत का आकलन</u>

56. भारतीय उत्पादक घरेलू बिक्री की मात्रा के रूप में भारत में उत्पाद की मांग अथवा स्पष्ट खपत के संबंध में चूंकि केवल एक उत्पादक है और सभी स्रोतों से आयात हैं, अत: इस प्रकार आंकी गई मांग क्षति अवधि के दौरान बढ़ी है।

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	जांच की अवधि
चीन जन.गण. (संबद्ध देश) से आयात	लाख पीस	1,108	1,146	1,169	1,846
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	106	167
अन्य देशों से कुल आयात	लाख पीस	8	401	32	16
देश में कुल आयात	लाख पीस	1,115	1,547	1,201	1,862
याचिकाकर्ता की घरेलू बिक्री	लाख पीस	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	202	205	96
कुल मांग	लाख पीस	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	146	118	159

57. जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है जांच की अवधि के दौरान भारत में संबद्ध सामानों की मांग आधार वर्ष में और तत्काल पूर्व वर्ष में भी बढ़ी है। वस्तुत:, मांग जांच की अवधि और आधार वर्ष के बीच 59% की वृद्धि से और जांच की अवधि तथा तत्काल पूर्व वर्ष के बीच 41% की वृद्धि से जांच की अवधि के दौरान उच्चतर स्तर पर रही है।

ख. <u>संबद्ध देश से आयात मात्रा</u>

58. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी को इस पर विचार करने की आवश्यकता होती है कि क्या पाटित आयातों में पूर्ण दृष्टि से अथवा भारत में उत्पादन या खपत के सापेक्ष काफी वृद्धि हुई है।

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	जांच की अवधि
चीन जन.गण. (संबद्ध देश) से आयात	लाख पीस	1,108	1,146	1,169	1,846
कुल आयातों में संबद्ध देश का हिस्सा	%	99.31	74.09	97.36	99.14

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	जांच की अवधि
कुल आयातों में अन्य देशों का हिस्सा	%	0.69	25.91	2.64	0.86
	कुल	100	100	100	100

59. यह देखा जाता है कि संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयातों में आधार वर्ष में 1108 लाख पीस से बढ़कर जांच की अवधि में 1846 लाख पीस होकर वृद्धि हुई है जो पूर्ण दृष्टि से आयातों में वृद्धि दर्शाता है। प्रतिशत की दृष्टि से भारत को समग्र आयातों में संबद्ध देश से आयातों का हिस्सा, जो आधार वर्ष में 99.31% था, जांच की अवधि में थोड़ा सा कम होकर 99.14% हो गया जबकि अन्य देशों से आयातों का हिस्सा आधार वर्ष में 0.69% से बढ़कर जांच की अवधि तक 0.86% हो गया। ध्यान देने योग्य यह है कि भारत के समग्र आयातों में प्रमुख हिस्सा पूरी क्षति अवधि में संबद्ध देश से आयातों ने ले रखा है।

ग. <u>सापेक्ष संदर्भ में संबद्ध देश से आयात</u>

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	जांच की अवधि
संबद्ध देश से कुल आयात	लाख पीस	1,108	1,146	1,169	1,846
कुल मांग	लाख पीस	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	146	118	159
घरेलू उद्योग (डीआई) की बिक्री	लाख पीस	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	209	226	92
भारतीय खपत के संबंध में संबद्ध देश से आयात	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	71	89	105
घरेलू उद्योग के उत्पादन के संबंध में संबद्ध देश से आयात	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	50	47	181

60. यह नोट किया जाता है कि भारत में उत्पादन और खपत के संदर्भ में पाटित आयातों का हिस्सा जांच की अवधि और आधार वर्ष के बीच बढ़ा है और साथ ही जांच की अवधि और तत्काल पूर्व वर्ष के बीच भी बढ़ा है।

ii. <u>घरेलू उद्योग पर आयातों का कीमत प्रभाव</u>

61. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में यह विश्लेषण किए जाने की आवश्यकता होती है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में तथाकथित पाटित आयातों से काफी कीमत कटौती हुई है अथवा क्या इन आयातों का प्रभाव कीमतों को कम करने अथवा कीमत वृद्धि रोकने के लिए है जो अन्यथा सामान्य प्रक्रिया में हुई होती। संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की जांच कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री, कीमत न्यूनीकरण और कीमत ह्रास, यदि कोई है, के संदर्भ में की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजन के लिए घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत, निवल बिक्री वसूली (एनएसआर) और गैर-क्षतिकारक कीमत (एनआईपी) की तुलना संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयातों की पहुंच कीमत से की गई है।

क) <u>कीमत कटौती</u>

62. कीमत कटौती विश्लेषण के प्रयोजन के लिए घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत की तुलना संबद्ध देश से आयातों के पहुंच मूल्य के साथ की गई है। घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत की गणना करते समय सभी करों, छूटों, रियायतों और कमीशन को घटाया गया है और कार्यगत स्तर पर बिक्री वसूली पाटित आयातों के पहुंच मूल्य के साथ तुलना के लिए निर्धारित की गई है। तदनुसार, संबद्ध देश से पाटित आयातों के कीमत कटौती प्रभाव निम्नलिखित बनते हैं:

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	जांच की अवधि
निवल बिक्री वसूली	रु./पीस	***	***	***	***
पहुंच कीमत (एलवी)	रु./पीस	***	***	***	***
कीमत कटौती	रु./पीस	***	***	***	***
कीमत कटौती	एनएसआर का %	***	***	***	***

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	जांच की अवधि
कीमत कटौती	रेंज	10-20	10-20	20-30	15-25

63. उपर्युक्त तालिका से यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देश से आयात घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूली से कम कीमत पर भारतीय बाजार में आ रहे हैं जिससे सकारात्मक कीमत कटौती हो रही है। यह भी नोट किया जाता है कि यद्यपि आयातों की पहुंच कीमत कुछ वर्षों में बढ़ी है, तथापि पाटित आयातों की पहुंच कीमत और घरेलू उद्योग के एनएसआर के बीच अंतराल काफी अधिक रहा है जिसके परिणामस्वरूप जांच की अवधि के दौरान 15-25% की रेंज में कीमत कटौती हुई है।

ख) <u>कीमत न्यूनीकरण/ह्रास</u>

64. ह निर्धारित करने के लिए क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों का न्यूनीकरण कर रहे हैं और क्या इन आयातों का प्रभाव काफी मात्रा तक कीमतों का न्यूनीकरण करना अथवा कीमत वृद्धि रोकना है जो अन्यथा सामान्य प्रक्रिया में हुई होती, क्षति की अवधि में लागतों और कीमतों में परिवर्तनों की तुलना निम्नलिखित रूप में पाटित आयातों की पहुंच कीमत के आलोक में की गई थी:

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	जांच की अवधि
बिक्री लागत	रु./पीस	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	82	103	136
घरेलू बिक्री कीमत	रु./पीस	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	110	138	141
पहुंच मूल्य-संबद्ध देश	रु./पीस	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	107	120	134
प्रति यूनिट पीबीआईटी	रु./पीस	(***)	(***)	(***)	(***)
लाभ और हानि	सूचीबद्ध	(100)	(16)	(22)	(124)

65. यह यह पाया जाता है कि यद्यपि घरेलू उद्योग उत्पादन लागत और बिक्री कीमत आयातों की पहुंच कीमत में वृद्धि के साथ-साथ जांच की अवधि और आधार वर्ष के बीच वृद्धि हुई है, तथापि जांच की अवधि सहित क्षति की अवधि के दौरान संबद्ध आयातों

का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और घरेलू बिक्री कीमतों से कम रहा है। अत:, यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयात घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों का न्यूनीकरण कर रहे हैं क्योंकि बिक्री लागत में वृद्धि घरेलू उद्योग की कीमत में वृद्धि से अधिक है और साथ ही आयातों के इस पहुंच मूल्य के अभाव में कीमत वृद्धि अधिक हुई होती ताकि घरेलू उद्योग लाभप्रद स्तरों पर बिक्री कर पाता।

iii. <u>घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड</u>

66. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में उन उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुपरक जांच शामिल होगी। उन उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में पाटनरोधी नियमावली में यह भी प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में सभी संगत आर्थिक कारकों और तत्वों का वस्तुपरक और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए जो बिक्री, लाभ, उत्पादन और बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता के उपयोग, घरेलू कीमतों पर प्रभाव डालने वाले कारकों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह पर वास्तविक और संभावित प्रभावों, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजीगत निवेश जुटाने की क्षमता सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले कारक शामिल हैं।

67. क्षति और कारणात्मक संपर्क संबंधी अनिवार्य तथ्यों का प्रकटन करते समय प्राधिकारी ने इस जांच में सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए वस्तुपरक रूप से क्षति मानदंडों की भी जांच की है ताकि उन सभी अनुरोधों को भी हल किया जा सके।

क) <u>उत्पादन, क्षमता, बिक्री और क्षमता उपयोग</u>

68. उत्पादन, घरेलू बिक्री, क्षमता और क्षमता उपयोग के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन निम्नलिखित था:

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	जांच की अवधि
संस्थापित क्षमता	लाख पीस	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	100

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	जांच की अवधि
उत्पादन	लाख पीस	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	209	226	92
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	209	226	92
घरेलू बिक्री	लाख पीस	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	202	205	96

69. यह नोट किया जाता है कि यद्यपि क्षति की अवधि में क्षमता स्थिर रही, तथापि घरेलू उद्योग की उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री में आधार वर्ष अर्थात 2019-20 और तत्काल पूर्व वर्ष अर्थात 2021-2022 के बीच वृद्धि हुई और जांच की अवधि के दौरान इसमें काफी गिरावट आई। इस संदर्भ में यह भी देखा जाता है कि भारत में उत्पादन और मांग/खपत के संबंध में संबद्ध देश से आयातों में जांच की अवधि और तत्काल पूर्व वर्ष के बीच काफी वृद्धि हुई।

70. यह भी देखा जाता है कि जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की कम बिक्री का उत्पादन, क्षमता उपयोग आधार वर्ष के दौरान स्तरों से कम रही है और घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग तब भी बहुत कम रहा है जब ये दावा है कि भारत में उत्पाद के लिए मांग और आपूर्ति अंतराल है। घरेलू उद्योग द्वारा यह दावा किया गया है कि संबद्ध सामानों के लिए हमेशा बढ़ते हुए बाजार में स्वल्प क्षमता उपयोग प्रतिशतता भारत की तरह पाटित आयातों की सीधी गिरावट है और उपयोग का यह प्रतिशत घरेलू उद्योग को हो रही मात्रात्मक क्षति दर्शाता है।

घ. <u>मांग में बाजार हिस्सा</u>

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	जांच की अवधि
चीन जन.गण. (संबद्ध देश) से आयात	लाख पीस	1,108	1,146	1,169	1,846
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	106	167
अन्य देशों से आयात	लाख पीस	8	401	32	16

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	जांच की अवधि
देश में कुल आयात	लाख पीस	1,115	1,547	1,201	1,862
याचिकाकर्ता की घरेलू बिक्री	लाख पीस	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	202	205	96
कुल मांग	लाख पीस	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	146	118	159
भारतीय मांग में उसका हिस्सा;					
चीन जन.गण.(संबद्ध देश) से आयात	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	71	89	105
अन्य देशों से कुल आयात	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	3,576	348	130
देश में कुल आयात	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	95	91	105
याचिकाकर्ता की घरेलू बिक्री	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	139	173	60
भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	139	173	60

71. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध आयातों का बाजार हिस्सा आधार वर्ष और जांच की अवधि के बीच 100 आधार सूचकांक से बढ़कर जांच की अवधि में 105 सूचकांक हो गया। तथापि, मांग में घरेलू उद्योग का हिस्सा उसी अवधि में घटकर आधार वर्ष में 100 सूचकांक से जांच की अवधि में 60 सूचकांक हो गया। वस्तुत:, जांच की अवधि और तत्काल पूर्व वर्ष के बीच घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट उच्चतम स्तरों पर रही है। जैसा कि उपर्युक्त् अवधि में लगभग 113 सूचकांक की गिरावट से नोट किया जा सकता है। संबद्ध आयातों का बाजार हिस्सा इसी अवधि में 16 सूचकांक तक

बढ़ा। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि उस समय घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट रही है जब मांग में वृद्धि रही है, उसी अवधि में संबद्ध देश से भारत में संबद्ध सामानों के पाटित आयातों के हिस्से में वृद्धि के कारण गिरावट आई।

ख) <u>लाभप्रदता निवेश पर आय और नकद लाभ</u>

72. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:-

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	जांच की अवधि
लाभ/हानि	रु.पीस	(***)	(***)	(***)	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(16)	(22)	(124)
ब्याज और कर पूर्व लाभ/(हानि) (पीबीआईटी)	रु.पीस	(***)	(***)	***	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(5)	11	(98)
नकद लाभ	लाख रु.	(***)	***	(***)	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	17	(3)	(124)
औसत नियोजित पूंजी	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	106	96
नियोजित पूंजी पर आय	%	(***)	(***)	***	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(9)	22	(96)

73. उपर्युक्त तालिका से यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के प्रमुख लाभप्रदता मानदंड 2021-22 तक सुधार की ओर रहे हैं, यद्यपि वास्तविक संख्याएं नकारात्मक क्षेत्र में थीं और फिर इन मानदंडों में एक बार फिर जांच की अवधि में गिरावट आई, जिसके परिणामस्वरूप सभी प्रमुख लाभप्रदता मानदंडों के संदर्भ में पर्याप्त हानियां हुईं। समग्र रूप से घरेलू उद्योग को नकारात्मक आरओसीई सहित जांच की अवधि के दौरान वित्तीय हानियां हुईं।

74. विरोधी पक्षकारों के तर्क के संबंध में कि निवल अचल परिसंपत्ति आंकड़ों, औसत नियोजित पूंजी, मूल्यह्रास और संस्थापित क्षमता के बीच कोई सह-संबंध नहीं है और आवेदक की वार्षिक रिपोर्ट तथा आर्थिक मानदंडों के बीच कोई सह-संबंध नहीं है,

प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक ने गैर-विचाराधीन उत्पाद मदें भी प्रस्तुत की हैं और वार्षिक रिपोर्ट में सूचना अकेले संबद्ध सामानों के सीधे ही संबंध रखने वाली नहीं होगी। तथापि, अकेले संबद्ध सामानों पर लागू अलग की गई सूचना पर क्षति जांच में विश्वास किया गया है।

75. नियोजित पूंजी और कार्यशील पूंजी में वृद्धि संबंधी तर्कों के संबंध में, जब क्षमता वही रही हो, घरेलू उद्योग के प्रत्युत्तर अनुरोध से यह नोट किया जाता है कि आधार वर्ष के लिए याचिका में सूचित की गई नियोजित पूंजी में त्रुटि थी जिसे आवेदक द्वारा ठीक कर दिया गया था। उसके बाद, आवेदक द्वारा दावा किए गए अनुसार नियोजित पूंजी, कार्यशील पूंजी आदि संबंधी सूचना सत्यापन के अधीन रखी गई है और इस विवरण के लिए केवल उन्हीं सत्यापित आंकड़ों पर विचार किया गया है जो विरोधी पक्षकारों द्वारा उठाई गई चिंताओं का हल करते हैं।

ग) <u>रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी</u>

76. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग के रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं:

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	जांच की अवधि
रोजगार	सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	147	165	109
मजदूरी	लाख रु./पीस	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	65	70	123
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	लाख पीस/व्यक्ति	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	142	137	85

क) यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के रोजगार स्तर में गिरावट हुई है और प्रवृत्ति उत्पादन में गिरावट के अनुरूप थी। प्रति यूनिट मजदूरी क्षति की अवधि में बढ़ी हुई नोट की जाती है और उत्पादन में कमी से भी घरेलू उद्योग की उत्पादकता में गिरावट आई है।

घ) **पाटन मार्जिन की मात्रा**

77. पाटन की मात्रा उस सीमा का संकेतक है जहां तक भारत में आयात पाटित किए जा रहे हैं। जांच ने यह दर्शाया है कि पाटन मार्जिन सकारात्मक है और जांच की अवधि में काफी है।

ड.) **मालसूची**

78. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की मालसूची की स्थिति निम्नलिखित तालिका में दी गई है:

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	जांच की अवधि
मालसूची	लाख पीस	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	231	85

79. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग में मालसूची जांच की अवधि तक अर्थात आधार वर्ष तक कम हुई।

च) **वृद्धि**

80. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रमुख मात्रात्मक और लाभप्रदता मानदंडों के संबंध में घरेलू उद्योग की वृद्धि जांच की अवधि के दौरान नकारात्मक रही है, जैसा कि निम्नलिखित तालिका से देखा जा सकता है;

विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	जांच की अवधि
उत्पादन	%	108.82	8.21	(59.28)
घरेलू बिक्री मात्रा	%	101.82	1.41	(52.99)
क्षमता उपयोग	%	108.82	8.21	(59.28)
मालसूची	%	10.50	112.11	(63.54)
रोजगार	%	47.17	12.35	(34.16)
प्रति पीस बिक्री कीमत	%	9.66	25.73	2.12
प्रति पीस बिक्री लागत	%	(18.34)	26.31	31.53
नियोजित पूंजी पर आय	%	90.58	329.57	(544.16)
प्रति यूनिट लाभ	%	83.86	(35.47)	(465.61)
प्रति यूनिट पीबीआईटी	%	94.89	323.40	(962.79)

छ) <u>पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता</u>

81. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने संबद्ध सामानों के उत्पादन के लिए संयंत्र स्थापित करने हेतु पूंजी निवेश किए हैं। तथापि, घरेलू उद्योग का निष्पादन क्षति की अवधि के दौरान कम हुआ है और घरेलू उद्योग को जांच की अवधि के दौरान हानियां हुई हैं। यह उल्लेख किया गया है कि घरेलू उद्योग की क्षमता का विस्तार करने की योजनाएं थीं परंतु उनको हो रही क्षति के कारण उन्होंने उसे रोक दिया। तथापि, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग एक बहु-उत्पाद कंपनी है और इसीलिए पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता अकेले विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) के निष्पादन के आधार पर नियंत्रित नहीं हो सकती।

ज) <u>घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक</u>

82. संबद्ध देशों से आयात कीमतों की जांच लागत ढांचे में परिवर्तन, घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धात्मकता, पाटित आयातों को छोड़कर अन्य कारक जो घरेलू बाजार के घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं, दर्शाते हैं कि संबद्ध देश से आयातित सामग्री का पहुंच मूल्य बिक्री कीमत और बिक्री लागत से कम है जो काफी कीमत कटौती और कीमत न्यूनीकरण कर रहा है। यह भी नोट किया जाता है कि संबद्ध सामानों के लिए मांग क्षति की अवधि के दौरान काफी वृद्धि दर्शा रही थी और इसीलिए वह घरेलू उद्योग को प्रभावित करने वाला कारक नहीं हो सकता। इस प्रकार, यह नोट किया जा सकता है कि घरेलू कीमतों का प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक संबद्ध देश से संबद्ध सामानों का पाटित आयात हैं।

झ) क्षति मार्जिन/कम कीमत पर बिक्री की मात्रा

83. प्राधिकारी ने यथा-संशोधित अनुबंध-III के साथ पठित इस नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए गैर-क्षतिकारक कीमत (एनआईपी) का निर्धारण किया है। विचाराधीन उत्पाद की गैर-क्षतिकारक कीमत का निर्धारण घरेलू उद्योग द्वारा दी गई उत्पादन लागत से संबंधित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर और जांच की अवधि के लिए प्रैक्टिसिंग लागत लेखाकार द्वारा विधिवत प्रमाणित आंकड़ों को अपनाकर किया गया है। गैर-क्षतिकारक कीमत पर क्षति मार्जिन का परिकलन करने के

लिए संबद्ध देश से पहुंच कीमत की तुलना करने के लिए विचार किया गया है। गैर-क्षतिकारक कीमत निर्धारित करने के लिए क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा कच्ची सामग्री के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यही व्यवहार यूटिलिटियों के साथ किया गया है। क्षति की अवधि में उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि उत्पादन लागत के कोई असाधारण अथवा गैर-आवर्ती खर्चे नहीं लगाए जाते है। विचाराधीन उत्पाद के लिए नियोजित औसत पूंजी पर उपयुक्त आय (कर-पूर्व 22% की दर से) (अर्थात औसत निवल निर्धारित परिसंपत्ति योग औसत कार्यशील पूंजी) की अनुमति इस नियमावली के अनुबंध-III में यथा-निर्धारित गैर-क्षतिकारी कीमत तय करने के लिए कर पूर्व लाभ की अनुमति दी गई थी और उसे अपनाया जा रहा है। प्रत्येक किस्म के उत्पाद के लिए पृथक एनआईपी निर्धारित की गई है।

84. संबद्ध देश से सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पहुंच कीमत निर्धारित की है।

85. उपर्युक्तानुसार निर्धारित पहुंच कीमत और गैर-क्षतिकारी कीमत के आधार पर उत्पादकों/निर्यातकों के लिए प्राधिकारी द्वारा क्षति मार्जिन निर्धारित किया गया है।

<u>क्षति मार्जिन</u>

क्र.सं.	देश	उत्पादक	व्यास/ पीसीएन	एनआईपी अम.डा./लाख प्रति पीस	पहुंच मूल्य अम.डा./लाख प्रति पीस	क्षति मार्जिन अम.डा./लाख प्रति पीस	क्षति मार्जिन %	क्षति मार्जिन (रेंज %)
1	चीन जन.गण.	कोई	300	***	***	***	***	15-25
			401	***	***	***	***	15-25
			भारित औसत	***	***	***	***	15-20

झ. **<u>गैर-आरोप्य विश्लेषण</u>**

86. पाटनरोधी नियमावली के अनुसार प्राधिकारी के लिए अन्य बातों के साथ-साथ पाटित आयातों को छोड़कर किन्हीं जांच कारकों की जांच करना अपेक्षित होता है जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं ताकि इन अन्य कारकों के कारण हुई क्षति पाटित आयातों के कारण न हों। इस संबंध में संगत कारकों में अन्य बातों के साथ साथ पाटित कीमतों पर न बेचे गए आयातों की मात्रा और कीमतें, खपत के पैटर्न में मांग में संकुचन अथवा परिवर्तन, व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां और विदेशी तथा घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में विकास और घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन तथा उत्पादकता शामिल है। नीचे यह जांच की गई है कि क्या पाटित आयातों को छोड़कर अन्य कारकों का घरेलू उद्योग को क्षति में योगदान हो सकता है।

क) <u>तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमत</u>

87. संबद्ध देश को छोड़कर अन्य देशों से आयात बहुत ही नगण्य रहे हैं (भारत में विचाराधीन उत्पाद के कुल आयातों के 1% से कम) और वे संबद्ध देश से काफी अधिक कीमत पर रहे हैं।

ख) <u>निर्यात निष्पादन</u>

88. प्राधिकारी ने अपने क्षति विश्लेषण के लिए केवल घरेलू प्रचालनों के लिए आंकड़ों पर विचार किया है। वस्तुतः, जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा कोई निर्यात नहीं किए गए थे।

ग) <u>खपत के पैटर्न में मांग परिवर्तनों में संकुचन</u>

89. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध सामानों की मांग क्षति की अवधि में बढ़ी है।

घ) <u>व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां तथा विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा</u>

90. संबद्ध सामानों का आयात किसी भी तरह प्रतिबंधित नहीं है और वे देश में स्वतंत्र रूप से आयात किए जा सकते हैं। हितबद्ध पक्षकारों को यह बताना है कि विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों में कोई परिवर्तन हुआ है।

ड.) <u>प्रौद्योगिकी में विकास</u>

91. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने प्रौद्योगिकी में काफी परिवर्तन दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है। कच्ची सामग्री के उत्पादन के लिए अर्थात् संबंद्ध सामानों का उत्पादन करने के लिए टिनप्लेट के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में अंतर की चिंताओं को यहां ऊपर विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु भाग में हल किया गया है।

च) <u>खपत के पैटर्न में परिवर्तन</u>

92. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान और भारत में आयातित संबद्ध सामान तुलनीय हैं और अंतिम प्रयोक्ता इन सामानों को परस्पर परिवर्तनीय पाते हैं।

छ) <u>अन्य उत्पादों के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन</u>

93. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित किए जा रहे और बेचे जा रहे अन्य उत्पादों का निष्पादन संबद्ध सामानों से संबंधित घरेलू उद्योग के निष्पादनों के संबंध में प्राधिकारी द्वारा किया गया मूल्यांकन प्रभावित नहीं होता है। प्राधिकारी द्वारा मानी गई सूचना केवल विचाराधीन उत्पाद के संबंध में है।

ज) <u>घरेलू उद्योग की उत्पादकता</u>

94. जैसा कि मूल्यांकन किया गया है प्रति कर्मचारी उत्पादकता में उसी अवधि के दौरान उत्पादन में गिरावट के अनुरूप जांच की अवधि तक थोड़ी सी गिरावट आई है। इस प्रकार, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादकता में गिरावट घरेलू उद्योग को क्षति का कोई कारण नहीं रहा है।

ञ. <u>भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे</u>

ञ.1 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध</u>

95. जांच प्रक्रिया के दौरान अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. शुल्क लगाए जाने से प्रयोक्ता उद्योग, जो कि एमएसएमई और सामान्य जनता में है, का हित प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा।

ii. विचाराधीन उत्पाद का प्रयोग निचले स्तर का (टिन कैन) के विनिर्माण में किया जाता है, जो मुख्य रूप से डेयरी उत्पादों, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों आदि की पैकिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तद्नुसार, शुल्क लगाए जाने से सीधे ही और

प्रतिकूल रूप से सामान्य जनता प्रभावित होगी और उस खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए हानिकारक भी होगी, जो क्षेत्र सरकार की प्राथमिकता सूची में है।

iii. प्रयोक्ता उद्योग प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से 1,00,000 से अधिक लोगों को रोजगार देता है और मुख्य रूप से एमएसएमई क्षेत्र में संकेन्द्रित है तथा पूरे देश में फैला हुआ है। शुल्क लगाए जाने से एमएसएमई उद्यमों में रोजगार प्रत्यक्ष और प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा।

iv. आवेदक भारतीय मांग का केवल लगभग 15% पूरा कर सकता है। अत:, अधिकतर मांग आयातों से पूरी की जानी होती है क्योंकि आवेदक (एकमात्र भारतीय उत्पादक) की उत्पादन क्षमता भारतीय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है तथा आवेदक द्वारा विनिर्मित विचाराधीन उत्पाद की गुणवत्ता भी घटिया है। ऐसी स्थिति में शुल्क लगाए जाने से प्रयोक्ता उद्योग प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा।

v. निचले स्तर के उत्पाद (टिन कैन) की कुल लागत में विचाराधीन उत्पाद की लागत का काफी हिस्सा है अर्थात 20% से 30% तक का हिस्सा है। आवेदक ने 300 व्यास पर 45% - 55% रेंज और 401 व्यास पर 50%-60% की रेंज में पाटनरोधी शुल्क का अनुरोध किया है। अत: शुल्क लगाए जाने से निचले स्तर के उत्पाद की लागत काफी अर्थात् लगभग 10% तक घट जाएगी। इससे निचले स्तर के उत्पाद के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता भी बढ़ेगी।

vi. इस जांच में पाटनरोधी उपाय लागू करना कुल मिलाकर और भारतीय घरेलू उद्योग के समग्र हित के असंगत होगा।

ञ.2. <u>घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध</u>

96. जांच प्रक्रिया के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. आवेदक द्वारा दावा किए गए अनुसार किसी पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव संबंधी सूचना यह दर्शाती है कि अंतिम प्रयोक्ता पर प्रभाव 0.10% से 1.10% पर बहुत ही नगण्य होगा और इस प्रतिशतता को बहुत अधिक नहीं माना जाना चाहिए।

ii. आवेदक ने सामान्य रूप से उन प्रयुक्त उत्पादों के लिए अंतिम उपभोक्ता पर पाटनरोधी शुल्क के संभावित प्रभाव का अपना दावा प्रस्तुत किया है जिनमें ईओई निम्नलिखित रूप में प्रयुक्त किया जाता है और दावा किया कि यह प्रभाव 0.10-1.10% की रेंज में होगा।

	यूनिट	रेडकाऊ डेयरी पनीर-401	हल्दीराम गुलाबजामुन -401	अमूल चीज-401	हेक्सागन फाइबर-401	पारस घी-401	डेलमोट स्वीड कार्न-300	नेस्ले मिल्कमेड-300
उपभोक्ता को अंतिम उत्पाद की कीमत	रु./कैन	235.00	240.00	238.00	878.00	1,326.00	115.00	144.00
ईओई की पहुंच कीमत	रु./पीस	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77	2.51	2.51
दावा किए गए अनुसार क्षति मार्जिन	रु./पीस	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06	1.24	1.24
पाटनरोधी शुल्क के बाद पहुंच कीमत	रु./पीस	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83	3.75	3.75
पाटनरोधी शुल्क के बिना अंतिम उत्पाद में संबद्ध सामानों का हिस्सा	%	1.60	1.57	1.58	0.43	0.28	2.18	1.74
पाटनरोधी शुल्क के साथ	%	2.48	2.43	2.45	0.66	0.44	3.26	2.60

अंतिम उत्पाद में संबद्ध सामानों का हिस्सा								
लागत में अनुमानित निवल वृद्धि (अंतिम उपभोक्ता/ जनता पर प्रभाव	%	0.88	0.86	0.87	0.24	0.16	1.08	0.86

iii. अंतिम प्रयोक्ता पर असर प्रभाव विश्लेषण में संगत है और यह दर्शाने के लिए कुछ नहीं किया जाता कि संबद्ध सामानों के निचले स्तर के प्रयोक्ता अंतिम उपभोक्ता पर पाटनरोधी शुल्क के कारण लागत में वृद्धि को आगे नहीं बढ़ाएंगे।

iv. प्राधिकारी को अकेले संबद्ध सामानों के प्रयोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की जांच करने के लिए जनहित की जांच सीमित नहीं करनी चाहिए। ईओई उत्पादक के लिए उचित व्यापारी क्षेत्र सुनिश्चित करने की आवश्यकता की व्यापक तस्वीर पर भी जनहित की जांच करते समय, विचार किया जाना चाहिए।

v. ईओई उत्पादन आधार पैकेजिंग आवश्यकताओं पर ज्यादा जोर देकर देश के लिए बहुत संगत है। निर्यातक इस उपयोग को शुरुआत में ही काटने का प्रयास कर रहे हैं ताकि निर्यातक भारतीय बाजार में अपना प्रभाव जारी रख सकें। पाटनरोधी शुल्क लगाने से ऐसे अनुचित प्रयासों और स्थितियों को खतरा होगा।

vi. यद्यपि भारत में ईओई का केवल एक उत्पाद है, तथापि भारत में कैनों के लगभग 10 उत्पादक होने का दावा किया जाता है जो यह दर्शाता है कि ईओई उद्योग के बीच अधिक उत्पादकों के प्रवेश और विद्यमान उत्पादक द्वारा क्षमता विस्तार की गुंजाइश है।

vii. संबद्ध सामानों की भारत में भारी मांग है और फिर भी यह बाजार चीन जन.गण. से पाटित आयातों द्वारा प्रभाव में है। संबद्ध सामानों का उत्पादन करने के लिए कच्ची सामग्री भारत में प्रचूर मात्रा में उपलब्ध है और कम से कम

आगामी समय में इस उत्पाद के लिए मांग को पूरा करने के लिए आयातों पर निर्भर रहने के लिए भारत को कोई आवश्यकता नहीं है।

viii. आयात कम करने के लिए, भारत में वर्तमान विनिर्माण आधार को बने रहने और आगे बढ़ने के लिए भी सहायता करना अनिवार्य है। आज की स्थिति के अनुसार, संबद्ध सामानों की मांग लगभग 20-25 करोड़ पीस है और वर्तमान क्षमता लगभग 6-9 करोड़ पीस है, और यहां तक कि उपर्युक्त क्षमता 20-30% की रेंज में व्यापक रूप से अप्रयुक्त है। केवल पाटनरोधी शुल्क की बाजार में इन असंतुलनों को समाप्त कर सकता है।

ix. संबद्ध सामान पैकेजिंग उद्योग में प्रयुक्त किया जाता है और एक बार ही प्रयोग किए जाने वाले प्लास्टिक की समाप्ति पर सरकार के जोर के साथ उत्पाद के लिए मांग आगामी वर्षों में बढ़ी हुई दरों पर बढ़ती जाएगी। भारत के लिए इस उत्पाद पर आत्मनिर्भर न रहने का कोई कारण नहीं है और देश ईओई के आयात के कारण काफी धनराशि का बहिर्गमन रोक सकता है, यदि पाटन के प्रभाव को समाप्त करने के लिए उपाय लगाकर भारत में संबद्ध सामानों के लिए मजबूत उत्पादन आधार विकसित करने में वह मदद करे।

x. संबद्ध सामान टिन प्लेट के मूल्यवर्धित उत्पाद है जिसका अर्थ यह है कि भारत में संबद्ध सामान इस्पात क्षेत्र का पूरक बनता है और ईओई के लिए एक मजबूत उत्पादन आधार ईओई के उत्पादन की सीमा तक पूरी इस्पात मूल्य श्रृंखला की बेहतर स्थिति सुनिश्चित करेगा।

xi. संबद्ध सामानों के उत्पादन के लिए निवेश की आवश्यकता होती है जो एमएसएमई क्षेत्र आदि में छोटी यूनिटों को भी वहनीय होगा और देश छोटे से समय के अंतर्गत संबद्ध सामानों का उत्पादन करने के लिए क्षमताओं में वृद्धि देख सकता है, यदि भारत में आयातों और घरेलू उत्पादों के बीच उचित प्रतिस्पर्धा हो। इस समय, उचित संतुलन पाटित आयातों की मौजूदगी के कारण कम हो गया है।

xii. भारत में ईओई के उत्पादकों की भारी संख्या के उभरने से आयात पर निर्भरता कम होगी और भारत को ईओई के अधिक उत्पादक ही भविष्य में प्रयोक्ताओं को लाभान्वित करेंगे। एल्युमिनियम रोड व्हील्स, विट्रीफाइड टाइल्स आदि जैसे मामलों में पाटनरोधी शुल्क लगाकर सुनिश्चित किया गया उचित व्यापारिक क्षेत्र में भारी संख्या में उत्पादकों का प्रवेश देखा और अब भारत के पास एक मजबूत निर्माण आधार है। पाटनरोधी शुल्क लगाकर ईओई विनिर्माण के लिए उचित व्यापारिक क्षेत्र इस उत्पाद के भी व्यापार में ऐसे विकास देखेगा।

xiii. भारत विश्व में इस्पात के सबसे बड़े उत्पादकों और प्रयोक्ताओं में से एक है तथा यह दावे कि टिन प्लेट से भारत में उत्पादित मूल्यवर्धित उत्पाद अच्छी गुणवत्ता का नहीं है, पाटित आयातों को बनाए रखने का केवल एकमात्र बहाना है जो सही जनहित में अच्छी रणनीति नहीं हो सकती।

xiv. यह उद्योग गुणवत्ता और अन्य प्रचालनात्मक पहलुओं के संदर्भ में पहले से ही स्थिर है और केवल चिंता यह है कि उत्पादक उपयुक्त स्तरों तक कीमतें बढ़ाने में सक्षम नहीं है जो पाटन के अभाव में ही संभव हुआ होता। इस प्रकार की स्थिति का समाधान करने के लिए पाटनरोधी शुल्क निश्चित रूप से व्यापक जनहित में होगा।

xv. तर्क किए गए मांग आपूर्ति अंतराल का भी जनहित के संदर्भ में कोई अर्थ नहीं है क्योंकि आवेदक के पास क्षमता अत्यधिक अप्रयुक्त है और यह कम उपयोग पाटित आयातों की मौजूदगी का परिणाम था।

xvi. भारत के पास वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुसार लगभग 3,00,000 एमटीपीए तक नियोजित क्षमता अभिवृद्धियों के साथ टिन प्लेटों का उत्पादन करने के लिए लगभग 7,49,000 एमटीपीए क्षमता है (टीसीआईएल -379000 एमटीपीए, जेएसडब्ल्यू वल्लभ टिनप्लेट -120000, जेएसडब्ल्यू तारापुर संयंत्र-250000 एमटीपीए) क्षमता है। उसके एक छोटे भाग की ही भारत में पूरी मांग की पूर्ति के लिए ईओई उद्योग द्वारा अपेक्षित है। इस प्रकार, भारत मे भीतर कच्ची सामग्री के लिए ईओई उद्योग की उचित पहुंच है और ऐसी स्थिति में भारत में ईओई के पाटन की अनुमति देना भारत में सामूहिक जनहित में नहीं होगा।

xvii. आयातक कम समय में ही पाटित आयातों से भारी लाभ ले सकते हैं और वे चाहते हैं कि ऐसे पाटित आयात जारी रहें, जैसा कि उनके दावों से सिद्ध है परंतु यह देश के लिए अच्छा नहीं होगा। मुद्दा आयातों का नहीं है बल्कि क्षतिकारक स्तरों पर पाटित आयातों का है। पाटन के प्रभाव को समाप्त करने के लिए पाटनरोधी शुल्क किसी भी तरह से जनहित के विरुद्ध नहीं होगा।

xviii. निर्धारित कम क्षति एवं पाटन मार्जिन के आधार पर पाटन के ह्रासमान प्रभावों को समाप्त करने के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाना किसी भी तरह से जनहित के विरुद्ध नहीं होगा। इसकी बजाए, ऐसे कदम भारत में मजबूत ईओई विनिर्माण आधार स्थापित करने के लिए भारी सशक्त कदम होगा और यह विनिर्माण आधार भारत के व्यापक जनहित में होगा।

ञ.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

97. प्राधिकारी ने आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित करते हुए राजपत्र अधिसूचना जारी की। प्राधिकारी ने उनके प्रचालनों पर पाटनरोधी शुल्क के संभावित प्रभाव सहित वर्तमान जांच के संबंध में संगत सूचना उपलब्ध कराने के लिए उपभोक्ताओं के लिए एक प्रश्नावली भी निर्धारत की। प्राधिकारी ने अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न देशों से विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्त किए गए उत्पाद की परस्पर परिवर्तनीयता, स्रोत बदलने के लिए उपभोक्ता की क्षमता, उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव, पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से होने वाली नई स्थिति में समायोजन बढ़ाने अथवा विलंब करने की संभावना वाले कारकों के संबंध में सूचना मांगी।

98. यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क से आयात प्रतिबंधित नहीं होते बल्कि यह सुनिश्चित करते हैं कि आयात उचित कीमतों पर बाजार में आए। इस प्रकार, प्रयोक्ताओं को व्यापक विकल्प और उचित कीमतों पर संबद्ध सामानों के आयात की स्वतंत्रता बनी रहेगी, जो बाजार में बेहतर प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करेगी। इसके अतिरिक्त, जैसा कि पूर्व के पैराओं में उल्लेख किया गया है, यदि कोई उपाय प्राधिकारी द्वारा प्रस्तावित किए जाते हैं तो वे जांच की अवधि में उत्पादित उन उत्पाद किस्मों पर लागू होंगे जिनको वास्तविक क्षति हो रही है।

99. गुणवत्ता और मांग आपूर्ति अंतराल के संबंध में यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना आयातों पर प्रतिबंध के रूप में कार्य नहीं करता। पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का प्रयोजन सामान्य रूप में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति पुन: स्थापित करने के लिए अनुचित व्यापार परिपाटियों से होने वाले व्यापार के ह्रास के मुद्दे को हल करना है। किसी भी दशा में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यदि देश में मांग-आपूर्ति अंतराल है तो विदेशी उत्पादक उचित कीमत पर उत्पाद लाकर देश में अंतराल को निश्चित रूप से पूरा कर सकते हैं। तथापि, मांग-आपूर्ति अंतराल की मौजूदगी उत्पाद के पाटन का औचित्य नहीं बनाती। ऊपर यह पहले ही नोट किया गया है कि आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद की गुणवत्ता प्रयोक्ताओं को स्वीकार्य नहीं है और प्रयोक्ता घरेलू उद्योग से भी खरीददारी करते रहे हैं।

100. प्रयोक्ता उद्योग पर प्रभाव के संबंध में, घरेलू उद्योग ने अंतिम प्रयोक्ता पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की मात्रा बताई है और वह 0.16-1.10% की रेंज में है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अंतिम प्रयोक्ता पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की मात्रा नहीं बताई है और

इसकी बजाए आयातकों के लिए प्रभाव की मात्रा बताई है। इसके अतिरिक्त प्राधिकारी घरेलू उद्योग के अनुरोध को नोट करते हैं कि संबद्ध सामान आसानी से खोले जाने वाले सिरों वाले हैं जिनका प्रयोग विभिन्न खाद्य और दैनिक प्रयोग की मदों आदि की पैकिंग तथा भंडारण के लिए कैनों के साथ किया जाता है और ईओई से जुड़ी पैकिंग की लागत उन कंटेनरों में भंडारित उल्लिखित सामानों के मूल्य का छोटा सा भाग होता है जो ईओई से जुड़े होते हैं। अतः, नोट किए गए मार्जिन से कम के अनुरूप ईओई की लागत वृद्धि अंतिम प्रयोक्ता पर 1% से कम प्रभाव की होगी।

101. निचले स्तर के उन प्रयोक्ताओं जो एमएसएमई क्षेत्र में हैं, पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में केवल एक ही ईओई का उत्पादक है जो एमएसएमई यूनिट भी है जबकि भारत में टिन कैन उत्पादकों की भारी संख्या है, जैसाकि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दावा किया गया है। साथ ही, संबद्ध सामान टिनप्लेट के मूल्यवर्धित उत्पाद हैं जो भारत में प्रचूर मात्रा में उत्पादित किए जाते हैं जिसका अर्थ यह है कि भारत में संबद्ध सामानों का विनिर्माण बहुत ही अर्थक्षम विकल्प है और उसमें देश में एकल प्रयोग प्लास्टिक पैकेजिंग विकल्पों को छोड़कर बढ़ते हुए संगत को ध्यान में रखते हुए प्रोत्साहित किए जाने की संभावनाएं हैं। यद्यपि, भारत में इस उत्पाद के लिए मांग और आपूर्ति अंतराल है तथापि, घरेलू उद्योग ने संबद्ध सामानों के लिए उपलब्ध क्षमता भारी मात्रा में अप्रयुक्त रही है। ऐसी स्थिति में, संबद्ध सामानों के घरेलू विनिर्माण के लिए उचित व्यापारिक क्षेत्र सुनिश्चित करने हेतु कोई कदम क्षति की वर्तमान स्थिति के विरुद्ध निचले स्तर के उत्पादकों सहित प्रयोक्ताओं के विरुद्ध एक अभियान के रूप में नहीं देखी जा सकती।

ट. <u>प्रकटन पश्चात टिप्पणियां</u>

ट.1 <u>घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध</u>

102. अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं;

i. एंटीडंपिंग शुल्क लगाने से घरेलू उत्पादक का एकाधिकार स्थापित हो जाएगा और यह सार्वजनिक हित में नहीं होगा।

ii. अन्य कारण जैसे एनपीयूसी के उत्पादन में गिरावट, याचिकाकर्ता के निर्यात प्रदर्शन में गिरावट, पुरानी तकनीक का उपयोग, कच्चे माल के एकमात्र आपूर्तिकर्ता के कारण घरेलू उद्योग को नुकसान हो सकता है और याचिकाकर्ता याचिका में इसका उल्लेख करने में विफल रहा है।

iii. YIWU ने तीन चैनलों के माध्यम से भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। सीधे और लैमी इंटरनेशनल लिमिटेड और विक्ट्री फ़ूड स्पेशलिटीज़ FZE के माध्यम से विक्ट्री ने EQR भी दाखिल किया। इसलिए, यह स्पष्ट नहीं है कि प्राधिकरण ने यह निष्कर्ष क्यों निकाला है कि YIWU के असंबंधित निर्यातक, विक्ट्री ने भाग नहीं लिया है या अपनी प्रश्नावली के जवाब दाखिल नहीं किए हैं। इसलिए, प्राधिकरण को इस मामले पर तत्काल गौर करना चाहिए और सहयोगी उत्पादक/निर्यातक, YIWU के लिए व्यक्तिगत डंपिंग और क्षति मार्जिन पर काम करना चाहिए।

iv. आवेदक ने स्पष्ट रूप से कुछ गलत चोटें दर्ज कराई हैं एंटी-डंपिंग की सुरक्षा की मांग के लिए गैर-मौजूद मामले को साबित करने के लिए जानकारी कर्तव्य. गलत जानकारी के तथ्य का सीधा असर डंपिंग, चोट आदि पर पड़ता है कॉजल लिंक ।

v. कच्चे माल की उच्च लागत, हाई-स्पीड लाइन की कमी, गैर-एकीकृत संयंत्र आदि जैसे अंतर्निहित कारणों से आवेदक को चोट लगी है, यदि कोई हो । व्यवसाय व्यवहार्यता निर्धारित करने के लिए जिन विभिन्न मापदंडों पर भरोसा किया जाता है, उन्हें समझने के लिए प्राधिकरण आवेदक की परियोजना रिपोर्ट की गहन जांच कर सकता है।

vi. शुल्क लगाने से एमएसएमई उद्यमों में रोजगार पर सीधा और प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

vii. अधिकांश मांग को आयात से पूरा करना पड़ता है क्योंकि आवेदक (एकमात्र भारतीय उत्पादक) की उत्पादन क्षमता भारतीय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है और आवेदक द्वारा निर्मित पीयूसी की गुणवत्ता भी घटिया है। ऐसे में ड्यूटी लगाने से यूजर इंडस्ट्री पर बुरा असर पड़ेगा.

viii. शुल्क लगाने से डाउनस्ट्रीम उत्पाद की लागत में उल्लेखनीय वृद्धि होगी यानी लगभग 10%। इससे डाउनस्ट्रीम उत्पाद के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता भी बढ़ेगी।

ix. प्राधिकारी को चोट, यदि कोई हो, का श्रेय उसे नहीं देना चाहिए चीन पीआर से किए गए आयात के लिए अन्य कारणों से आवेदक।

ट.2. <u>घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुतियाँ</u>

103. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं:

i. उत्पाद में पैकिंग की दो परतें होती हैं, प्रारंभिक पैकिंग उत्पाद को एक संकीर्ण-बुने हुए (एनडब्ल्यू) बैग में रखकर की जाती है और बैग की ऐसी श्रृंखलाओं को फिर एक बड़े कार्डबोर्ड बॉक्स में रखा जाता है। हालाँकि, एनआईपी में कार्डबोर्ड बॉक्स से संबंधित पैकिंग लागत की अनुमति नहीं है। प्राधिकरण इन दोनों मामलों में पैकिंग लागत को एनआईपी में शामिल कर सकता है। नियमों के अनुबंध III में एनआईपी का निर्धारण करते समय पैकिंग लागत को बाहर करने का प्रावधान नहीं है।

ii. यदि एनआईपी में पैकिंग लागत को पूरी तरह से अनुमति नहीं दी गई है, तो आयात मूल्य में गैर-अनुमत पैकिंग के लिए समायोजन किया जाना चाहिए ताकि डंपिंग और क्षति मार्जिन का निर्धारण करते समय सेब की तुलना सुनिश्चित की जा सके।

iii. वर्तमान मामले के तथ्य विषयगत देश से विषयगत वस्तुओं की अत्यधिक मात्रा में डंपिंग और परिणामस्वरूप ऐसे डंप किए गए आयात के कारण घरेलू उद्योग को होने वाली भौतिक क्षति को दर्शाते हैं।

iv. इस तरह की डंपिंग से होने वाली क्षति को दूर करने और भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग के लिए समान अवसर स्थापित करने के लिए एंटी-डंपिंग शुल्क बहुत आवश्यक है, जहां अब तक डंप किए गए आयात का प्रभुत्व है।

v. वर्तमान में भारत में संबद्ध वस्तुओं का केवल एक ही उत्पादक है और भारत में और अधिक क्षमताएं विकसित होने की संभावना है। यह उत्पाद पैकेजिंग उद्योग और भारत में टिनप्लेट मूल्य श्रृंखला के लिए अच्छा संकेत होगा, जिसमें टिनप्लेट यानी ईओई के लिए प्रमुख कच्चा माल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। उत्पाद के लिए समान अवसर निश्चित रूप से देश के व्यापक सार्वजनिक हित में होंगे और भारत में इस उभरते उद्योग के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने के माध्यम से समान स्तर का अवसर बहुत आवश्यक है जैसा कि तथ्यों से पता लगाया जा सकता है। खुलासा.

vi. प्राधिकरण ईज़ी ओपन एलआईडी इंडस्ट्री कॉर्प यिवू को व्यक्तिगत मार्जिन नहीं देने के अपने फैसले की पुष्टि कर सकता है क्योंकि भारत में इसके निर्यात के महत्वपूर्ण हिस्से पर विचार करने वाले निर्यातक प्रश्नावली का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। निर्यातक ने अपने एनसीवी ईक्यूआर में कोई खुलासा नहीं किया है कि मूल्य श्रृंखला में शामिल अन्य निर्यातकों ने कोई प्रतिक्रिया दर्ज नहीं की है। यदि किसी पक्ष द्वारा निर्यात का बड़ा हिस्सा प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता है,

तो प्रतिवादी उत्पादक/निर्यातक की प्रतिक्रिया को अस्वीकार करना प्राधिकरण की एक सतत प्रथा है।

ट.3. <u>प्राधिकारी द्वारा परीक्षा</u>

104. यह नोट किया गया है कि प्रकटीकरण विवरण के बाद इच्छुक पार्टियों द्वारा किए गए अधिकांश अनुरोध उनके पिछले अनुरोधों की पुनरावृत्ति और पुनरुत्पादन हैं जिन्हें प्रकटीकरण विवरण जारी करने के समय ही उचित रूप से संबोधित किया गया है। चूंकि प्रकटीकरण विवरण के बाद रिकॉर्ड पर कोई नया तथ्य नहीं लाया गया है, ऐसे मुद्दों पर प्रकटीकरण विवरण में लिए गए विचारों की इस अंतिम निष्कर्ष में पुष्टि की गई है। हालाँकि, कुछ विशिष्ट दावों का समाधान यहां नीचे दिया गया है।

105. इस तर्क के संबंध में कि एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने से घरेलू उत्पादक का एकाधिकार स्थापित हो जाएगा और एंटी-डंपिंग शुल्क उपयोगकर्ताओं के खिलाफ होगा, प्राधिकरण नोट करता है कि एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने का उद्देश्य, सामान्य तौर पर , डंपिंग की अनुचित व्यापार प्रथाओं के कारण घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को खत्म करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति फिर से स्थापित हो सके, जो देश के सामान्य हित में है। एंटी-डंपिंग उपाय लागू करने का उद्देश्य किसी भी तरह से संबद्ध देश से आयात को प्रतिबंधित करना नहीं है।

106. इस तर्क के संबंध में कि क्षति अन्य कारणों से हुई है, प्राधिकरण ने अन्य पक्षों द्वारा किसी अन्य कारक पर किए गए अनुरोधों की जांच की है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है और इसे इस विवरण में दर्ज किया गया है। यह पाया गया कि कोई अन्य कारक घरेलू उद्योग को चोट नहीं पहुंचाता जैसा कि एंटी-डंपिंग नियमों में परिकल्पित किया गया है।

107. ईजी ओपन एलआईडी इंडस्ट्री कोर्प यिव्यू, जो संबद्ध सामानों का उत्पादक एवं निर्यातक है, के निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर से यह नोट किया जाता है जांच की अवधि के दौरान कंपनी के अपनी असंबद्ध कंपनी अर्थात मै. विक्ट्री फूड स्पेशलिटीज एफजेडई के माध्यम से *** अम.डालर मूल्य के सीधे ही और अप्रत्यक्ष रूप से भारत को *** लाख पीस का निर्यात किया है और एंड मै. लैमी इंटरनेशरल लिमिटेड ने *** अम.डालर मूल्य के भारत को *** लाख पीस का निर्यात किया।

108. यह पाया गया है कि निर्माता/निर्यातक की असंबद्ध कंपनियों ने निर्धारित समय के भीतर प्राधिकरण के समक्ष कोई 'निर्यातक प्रश्नावली प्रतिक्रिया' दाखिल नहीं की। आगे यह नोट किया गया है कि मेसर्स विक्ट्री फूड स्पेशलिटीज एफजेडई द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी संबंधित वस्तुओं के निर्यातकों के लिए प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रारूप में नहीं है। यह आगे नोट किया गया है कि प्राधिकरण ने 7 जून, 2023 को उन इच्छुक पार्टियों की एक सूची प्रकाशित की, जिन्होंने प्राधिकरण को ऐसे इच्छुक पार्टियों द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण की प्रकृति और उक्त सूची के प्रकाशन के समय, इच्छुक पार्टियों के साथ जवाब दिया है। निम्नलिखित पंक्तियों में इच्छुक पार्टियों की उक्त सूची की तैयारी में किसी भी विसंगति के मामले में प्राधिकरण को वापस भेजने का निर्देश दिया गया था;

> *3. यदि किसी इच्छुक पार्टी ने अपना नाम या कोई सुधार किया है, जिसने आवेदन किया है, लेकिन उसका नाम या ईमेल आईडी सूची में उल्लिखित नहीं किया गया है, तो कृपया ऊपर उल्लिखित ईमेल आईडी पर प्राधिकरण को सूचित करें ताकि सूची को अपडेट करके यह सुनिश्चित किया जा सके। कोई भी इच्छुक पक्ष एनसीवी प्रस्तुतियों के आदान-प्रदान की उपरोक्त प्रक्रिया से वंचित नहीं है।*

109. 7 जून, 2023 को प्रकाशित इच्छुक पार्टियों की सूची में एक आयातक के रूप में मेसर्स विक्ट्री फ़ूड स्पेशलिटीज़ FZE की भागीदारी निर्धारित की गई। इसके बाद, जांच के दौरान कोई संचार/भागीदारी प्राप्त नहीं हुई। प्राधिकारी द्वारा यह भी कहा गया है कि चूंकि निर्धारित समय के भीतर निर्धारित प्रारूप में जानकारी प्रदान नहीं की गई थी, इसलिए उक्त पक्ष को अस्वीकार कर दिया गया।

110. इसे ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण मेसर्स विक्ट्री फूड स्पेशलिटीज एफजेडई द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी को प्रासंगिक निर्यातक प्रश्नावली प्रतिक्रिया के रूप में नहीं मान सकता है ताकि ईज़ी ओपन एलआईडी इंडस्ट्री कॉर्प यिवू के लिए व्यक्तिगत मार्जिन निर्धारित किया जा सके। प्राधिकरण नोट करता है कि ईज़ी ओपन एलआईडी इंडस्ट्री कॉर्प यिवू द्वारा किए गए निर्यात का महत्वपूर्ण हिस्सा प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है और उपलब्ध प्रतिक्रियाओं के आधार पर ईज़ी ओपन एलआईडी इंडस्ट्री कॉर्प यिवू के लिए कोई व्यक्तिगत मार्जिन निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

111. इस तर्क के संबंध में कि अधिकांश मांग को आयात से पूरा किया जाना है क्योंकि आवेदक (एकमात्र भारतीय उत्पादक) की उत्पादन क्षमता भारतीय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है और आवेदक द्वारा निर्मित पीयूसी की गुणवत्ता भी घटिया है और ऐसे मामले में , शुल्क लगाने से उपयोगकर्ता उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, इस मुद्दे को पहले ही ऊपर संबोधित किया जा चुका है। फिर भी, प्राधिकरण का मानना है कि मांग और आपूर्ति में अंतर घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाले डंप आयात के खिलाफ निवारण की मांग करने से वंचित करने का कारण नहीं हो सकता है।

112. भारत में संबद्ध वस्तु के निर्माता, जो एक एमएसएमई भी है, ने भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पादन में निवेश किया है और एकमात्र उत्पादक की अनुपस्थिति में, भारतीय उपयोगकर्ता पूरी तरह से आयात पर निर्भर होंगे। प्राधिकरण आगे नोट करता है कि भारत में टिनप्लेट की पर्याप्त आपूर्ति है और जैसा कि ऊपर दर्ज किया गया है, अनुकूल बाजार परिदृश्य में विषय वस्तु की आपूर्ति के लिए अतिरिक्त क्षमता आ सकती है। घरेलू उद्योग के लिए समान अवसर उपलब्ध होने से संबद्ध वस्तुओं के भारतीय उत्पादन की संभावनाएं बेहतर होंगी, जिससे अंततः बड़े पैमाने पर उपयोगकर्ताओं को लाभ होगा।

113. इस तर्क के संबंध में कि शुल्क लगाने से डाउनस्ट्रीम उत्पाद की लागत में काफी वृद्धि होगी यानी लगभग 10% और डाउनस्ट्रीम उत्पाद के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता भी बढ़ जाएगी, यह ध्यान दिया जाता है कि दावा किसी भी आधार पर प्रमाणित नहीं है। दस्तावेजी साक्ष्य. इसके विपरीत, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कीमत की जानकारी के आधार पर आवेदक द्वारा किए गए दावों से पता चलता है कि किसी भी एंटीडंपिंग शुल्क के रूप में मार्जिन के कम होने का प्रभाव अंतिम उपयोगकर्ता के अंत में 1% से अधिक नहीं होगा। एंटी-डंपिंग शुल्क आयात को प्रतिबंधित नहीं करता है, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि आयात उचित मूल्य पर बाजार में आए। उपयोगकर्ताओं को उचित मूल्य पर विषय वस्तु का आयात करने के लिए व्यापक विकल्प और स्वतंत्रता मिलती रहेगी, जिससे बाजार में बेहतर प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित होगी और किसी भी एंटीडंपिंग शुल्क के प्रभाव को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

114. घरेलू उद्योग के इस तर्क के संबंध में कि एनआईपी में पैकिंग लागत की पूरी तरह से अनुमति नहीं है और घरेलू और आयातित उत्पाद के बीच पैकिंग के समान स्तर पर निष्पक्ष तुलना की जानी चाहिए, प्राधिकरण नोट करता है कि एनआईपी का निर्धारण

नियमों के अनुलग्नक III में और प्राधिकरण की सुसंगत प्रथाओं में भी निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार किया गया है।

ठ. <u>निष्कर्ष</u>

115. किए गए निवेदनों, हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रदान की गई प्रमाणित जानकारी और प्राधिकरण के समक्ष उपलब्ध तथ्यों के आधार पर, जैसा कि उपरोक्त पैराग्राफ में दर्ज और जांचा गया है और डंपिंग के निर्धारण और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के आधार पर, प्राधिकरण निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचता है:

i. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) "टिन प्लेट के आसान खुले सिरे हैं, जिसमें इलेक्ट्रोलाइटिक टिन प्लेट (ईटीपी) शामिल है, जिसका आयाम 401 व्यास (99 मिमी) और 300 व्यास (73 मिमी) है"। पीयूसी के दायरे में निम्नलिखित शामिल नहीं हैं;
   क)) आसान खुले सिरे जो टिन प्लेट के अलावा अन्य सामग्रियों से निर्मित होते हैं, जैसे एल्यूमीनियम, टिन मुक्त शीट आदि।
   ख) किसी भी मेक/इनपुट सामग्री के 401 व्यास (99एमएम) और 300 व्यास (73एमएम) के अलावा अन्य आयाम वाले आसान खुले सिरे।
   ग) किसी भी बनावट और आयाम के आंशिक या छोटे एपर्चर के आसान खुले सिरे।

ii. विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देश से सामान्य मूल्य से कम कीमत पर निर्यात किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप डंपिंग हुई है। सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए विषयगत देश में उत्पन्न या वहां से निर्यातित विषय वस्तु के आयात के मामले में पाया जाने वाला डंपिंग मार्जिन न केवल न्यूनतम स्तर से ऊपर है, बल्कि महत्वपूर्ण भी है।

iii. संबद्ध वस्तु के आयात की मात्रा की जांच से पता चलता है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात पीओआई तक पूर्ण रूप से और भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में भी काफी बढ़ गया है।

iv. हालांकि जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई है, लेकिन उसी अवधि में संबद्ध देश से आयात की बाजार हिस्सेदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

v. आयात की पहुंच कीमत जांच अवधि में घरेलू उद्योग की शुद्ध बिक्री प्राप्ति से कम रही है और इसलिए, घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रही है। इसके अलावा, पहुंच मूल्य भी घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम रहा है।

vi. घरेलू उद्योग का विक्रय मूल्य संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान इसकी बिक्री लागत से कम रहा है जिसके कारण वित्तीय हानि हुई है।

vii. घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री जैसे सभी प्रमुख मात्रा मापदंडों में जांच अवधि में गिरावट आई है। जांच अवधि में क्षमता का उपयोग उल्लेखनीय रूप से बहुत कम रहा है और घरेलू उद्योग को जांच अवधि के दौरान काफी कम उपयोग वाली क्षमता के साथ छोड़ दिया गया है, जबकि यह तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग अकेले भारतीय मांग को पूरा नहीं कर सकता है।

viii. डंप किए गए आयात के परिणामस्वरूप घरेलू को क्षति हुई है। चोट का मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।

ix. प्राधिकरण ने किसी अन्य कारक पर अन्य पक्षों द्वारा की गई दलीलों की जांच की है जिससे घरेलू उद्योग को नुकसान हो सकता है। ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि किसी अन्य कारक के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। प्राधिकरण का निष्कर्ष है कि घरेलू उद्योग को क्षति संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के डंप किए गए आयात के कारण हुई है।

x. जनहित के संबंध में यह नोट किया गया है कि एंटी-डंपिंग शुल्क आयात को प्रतिबंधित नहीं करता है, बल्कि केवल यह सुनिश्चित करता है कि आयात उचित कीमतों पर बाजार में प्रवेश करे। उपयोगकर्ताओं को उचित मूल्य पर विषय वस्तु आयात करने के लिए व्यापक विकल्प और स्वतंत्रता मिलती रहेगी, जिससे बाजार में बेहतर प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित होगी।

116. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने पाया कि इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि विचाराधीन उत्पाद को डंप किए गए मूल्यों पर संबद्ध देश से भारत में निर्यात किया गया है और संबद्ध देश से संबद्ध उत्पाद की इस तरह की डंपिंग से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

ड. <u>सिफारिश</u>

117. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और सभी इच्छुक पार्टियों को सूचित किया गया था और घरेलू उद्योग, विषयगत देश के दूतावास, निर्यातकों, आयातकों और

अन्य इच्छुक पार्टियों को डंपिंग, क्षति और कॉजल लिंक के पहलू पर सकारात्मक जानकारी प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था।

118. नियमों के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार डंपिंग, क्षति और कारण लिंक की जांच शुरू करने और संचालित करने के बाद, प्राधिकरण का मानना है कि विषयगत देश से विषय वस्तु की डंपिंग और परिणामी क्षति की घरेलू उद्योग के लिए भरपाई के लिए एंटीडंपिंग शुल्क लगाना आवश्यक है। इसलिए, प्राधिकरण 5 वर्ष की अवधि के लिए यहां वर्णित रूप और तरीके से विषयगत देश से विषय वस्तु के आयात पर निश्चित एंटीडंपिंग शुल्क लगाने की सिफारिश करना आवश्यक समझता है।

119. नियमों के नियम 4(डी) और नियम 17(1)(बी) में निहित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण डंपिंग के मार्जिन और क्षति के मार्जिन के बराबर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने की सिफारिश करता है ताकि घरेलू उद्योग को लगी चोट को दूर करें। तदनुसार, नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के बराबर निश्चित एंटी-डंपिंग शुल्क विषय वस्तु के आयात पर केंद्र सरकार द्वारा चीन पीआर में उत्पन्न या वहां से निर्यातित शुल्क तालिका के कॉलम 3 में वर्णित जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से पांच (5) वर्षों के लिए लगाए जाने की सिफारिश की जाती है।

शुल्क तालिका

क्र. सं.	शीर्षक	विवरण	उद्गम देश	निर्यात का देश	निर्माता	शुल्क की राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	83099020	इलेक्ट्रोलाइटिक टिन प्लेट (ईटीपी) सहित टिन प्लेट के आसानी से खुलने वाले सिरे, आयाम में 401 व्यास (99 मिमी)	चीन पीआर	चीन सहित कोई भी देश	कोई	741	लाख पीसी.	यूएसडी

		और 300 व्यास (73 मिमी) *						
2	-वही -	-वही -	किसी भी देश के अलावा अन्य चीन पीआर	चीन पीआर	कोई	741	लाख पीसी.	यूएसडी

**नोट-1: पीयूसी के दायरे में निम्नलिखित शामिल नहीं हैं;*

क) आसान खुले सिरे जो टिन प्लेट के अलावा अन्य सामग्रियों से निर्मित होते हैं, जैसे एल्यूमीनियम, टिन मुक्त शीट आदि।

ख) किसी भी मेक/इनपुट सामग्री के 401 व्यास (99एमएम) और 300 व्यास (73एमएम) के अलावा अन्य आयाम वाले आसान खुले सिरे।

ग) किसी भी बनावट और आयाम के आंशिक या छोटे एपर्चर के आसान खुले सिरे।

120. इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए आयात का पहुंच मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के तहत सीमा शुल्क द्वारा निर्धारित मूल्यांकन योग्य मूल्य होगा और इसमें धारा 3, 8 बी, 9, 9 ए के तहत उक्त अधिनियम कर्तव्यों को छोड़कर सभी सीमा शुल्क शामिल हैं।

121. इस अंतिम निष्कर्ष में नामित प्राधिकारी के निर्धारण के खिलाफ अपील अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सीईएसटीएटी) के समक्ष की जाएगी ।

(अनन्त स्वरूप)
निर्दिष्ट प्राधिकारी